

(iii) पुलिस जाँच करेगी कि क्या बालक के साथ इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो तदनुसार कार्रवाई ही जाएगी।

(7) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जाँच की रीति के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ तैयार कर सकेगी।

93. **अधिनियम और नियमों का गैर-अनुपालन**— कोई अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, राज्य सरकार यथोचित जाँच के बाद ऐसे अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और साथ-साथ अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कृत्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

94. **निरसन**—10/प्र0गृ0स्था0-17/2003-2140 दिनांक-19 नवम्बर, 2015 के द्वारा अधिसूचित बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियमावली, 2015 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है :

परंतु यह कि इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व 2015 के नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश, जहाँ तक वह नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई या जारी किया गया समझा जाएगा।

95. **कठिनाई निराकरण की शक्ति**— इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली से संगत ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अतुल प्रसाद,
प्रधान सचिव।

प्ररूप-1

[नियम 8(1), 8(5)]

प्राथमिकी/डी0डी0 संख्या—.....

धारा के अधीन

पुलिस स्टेशन

तारीख और समय

अन्वेषण अधिकारी का नाम

सी0डब्लू0पी0ओ0 का नाम

1. नाम

2. पिता/माता/संरक्षक का नाम

3. आयु/जन्म की तिथि

4. पता

5. धर्म

I. हिन्दु (ओसी/बीसी/एससी/एसटी)

II. मुस्लिम/ईसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. यदि बालक विकलांग है:

I. सुनने में अक्षम

II. बोलने में अक्षम

III. शारीरिक रूप से विकलांग

IV. मानसिक रूप से निःशक्त

V. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. परिवार के ब्यौरे

क्र० सं०	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हों)

8. घर छोड़ने के कारण

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है, यदि कोई हो। हॉ/नहीं।

10. बालक की आदतें

	क	ख
1	धूम्रपान	1 टी0बी0 / फिल्में देखना
2	शराब का सेवन करना	2 अंतरंग खेल / बहिरंग खेल खेलना
3	औषधियों का उपयोग विनिर्दिष्ट करें	3 पुस्तकें पढ़ना
4	जुआ खेलना	4 ड्राइंग / पेंटिंग / एक्टिंग / गायन
5	कोई अन्य	

11. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हों

12. आय के उपयोगन

I. परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी

 हाँ

 नहीं

II. स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई:

 हाँ

 नहीं

- (क) पहनावा सामग्री हाँ / नहीं
 (ख) जुए के लिए हाँ / नहीं
 (ग) शराब के लिए हाँ / नहीं
 (घ) औषधियों के लिए हाँ / नहीं
 (ङ) धूम्रपान के लिए हाँ / नहीं
 (च) बचत हाँ / नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे:

- I. निरक्षर
 II. पाँचवी कक्षा तक अध्ययन
 III. पाँचवी कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
 IV. कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
 V. कक्षा दस से अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण:

- I. पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ
 II. स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का आभाव
 III. अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार
 IV. समकक्ष-समूह का प्रभाव
 V. अर्जन और परिवार की मदद करना
 VI. माता-पिता की असामयिक मृत्यु
 VII. स्कूल में उत्पीड़न
 VIII. स्कूल का कड़ा वातावरण
 IX. अनुपस्थिति के उपरान्त स्कूल से भाग जाना
 X. नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
 XI. स्कूल में दुर्व्यवहार
 XII. स्कूल में अपमान
 XIII. शारीरिक दंड
 XIV. शिक्षण का माध्यम
 XV. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

15. पिछला स्कूल जहाँ अध्ययन किया उसके ब्यौरे:-

- I. निगम / नगर-निगम / पंचायत
 II. सरकारी / अनु0जा0कल्याण स्कूल / पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
 III. प्राईवेट प्रबंधन
 IV. एन0सी0एल0पी0 के अन्तर्गत विद्यालय

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो

17. अधिकांश मित्र:

- I. शिक्षित

- II. निरक्षर
- III. उसी आयु वर्ग के
- IV. आयु में बड़े
- V. आयु में छोटे
- VI. एक ही लिंग के हैं
- VII. अन्य लिंग के हैं
- VIII. लतें
- IX. आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है: हाँ/नहीं

क्र० सं०	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1	मौखिक दुर्व्यवहार—माता—पिता/सहोदर भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3	लौंगिक दुर्व्यवहार/माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है हाँ/नहीं
20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के गुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ/नहीं
21. माता—पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हम उम्र गुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण:—.....
.....
22. वे परिस्थितियों जिनमें बालक को पकड़ा गया
.....
23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा
.....
24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका
.....
25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव
.....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्ररूप-2

[नियम 8(7)]

उस माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जाँच के लंबन के दौरान अंतरिम अभिरक्षा दी गई है।

मैं (नाम) मकान नं0 गली गाँव/शहर जिला राज्य का निवासी, यह घोषणा करता हूँ कि मैं (बालक का नाम) आयु का उत्तरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अन्तर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यक्ष लेने को तैयार हूँ:-

1. कि मैंने स्वयं की, सही, प्रमाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए हैं।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण और उसकी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम करूँगा और उसके रख-रखाव के लिए उपयुक्त उपबंध करूँगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सा जाँच दिलवाई जाएगी और स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा कि बालक किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के अध्यक्ष नहीं होगा।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देख-रेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी तो बोर्ड को तुरंत सूचित करूँगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूँगा।

.....20....., के दिन

वचनबद्धता निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-3

[नियम-10(1) (iii)]

पर्यवेक्षण आदेश

जब बालक को पुलिस स्टेशन की तारीख: 20..... की प्र0सू0रि0/डी0डी0 संख्या की जाँच के लंबन के दौरान उचित व्यक्ति/उचित संस्था/परिरीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा गया है।

जबकि (बालक का नाम) पर अपराध करने का अभिकथन किया गया है और उक्त द्वारा बोर्ड के निष्पादन पर(नाम) (पता) की देख-रेख के अन्तर्गत रखा गया है और बोर्ड संतुष्ट है कि उक्त बाल के साथ व्यवहार करने संबंधी आदेश पारित करते हुए पर्यवेक्षक के अधीन रखने के लिए कार्रवाई करना उचित है।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि उक्त बालक को के अन्तर्गत पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की अवधि के लिए रखा जाए:-

1. कि बालक की अवधि के लिए पर रहेगा तथा निदेशानुसार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।
2. कि बालक को बोर्ड की अनुमति के बगैर के जिला क्षेत्र से बाहर नहीं जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
3. कि बालक को ऐसे व्यक्तियों के साथ सहयोजित नहीं होने दिया जाएगा जो नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करते हों।
4. कि व्यक्ति जिसकी देखरेख में बालक में रखा गया है, वह बालक की उपयुक्त देखरेख, शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।
5. कि उस व्यक्ति द्वारा निवारक उपाय किए जाएँगे जिसकी देखरेख में बालक को यह देखने के लिए रखा गया है कि बालक ऐसा कोई अपराध नहीं करता है जो भारत में किसी भी कानून के अधीन दंडनीय हो।
6. कि बालक की स्वापक अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा अन्य मादक-द्रव्यों को लेने से रोकथाम की जाएगी। जिस व्यक्ति के अधीन बालक को पर्यवेक्षण में रखा जाएगा, वह व्यक्ति ऐसे कृत्य के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा।

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

टिप्पण: अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अंतःस्थापित किया जा सकेगा।

प्ररूप-4

जाँच के लंबन के दौरान किसी बालक को बाल देखरेख संस्था में रखने का आदेश

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

.....
.....
.....

तारीख20..... को दिन (बालक नाम), पुत्र/पुत्री आयु
निवासी, का प्र0सू0रि0/डी0डी0सं0..... पुलिस स्टेशन में संलिप्त होने का अधिकथन किया
गया है को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाता है कि बालक को की अवधि के लिए
..... नामक बाल देखरेख संस्था (पर्यवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) में रखा जाए।

आपको यह प्राधिकृत किया जाता है कि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त बालक को अपने
उत्तरदायित्व में लें और बालक को बाल देखरेख संस्था (पर्यवेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान) पर रखा जाए अथवा विधि के
अनुसार उक्त आदेश के क्रियान्वित किए जाने हेतु जब भी निदेश दिया जाए, बालक को प्रस्तुत किया जाए।

सुनवाई की अगली तारीख

मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की सील।

तारीख:

हस्ताक्षर
प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-5

[नियम 10(2)]

सामाजिक जाँच रिपोर्ट के लिए आदेश

प्र0सू0रि0 संख्या

धारा के अधीन

पुलिस स्टेशन

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन का प्रभारी व्यक्ति।

..... (बालक का नाम) पुत्र/पुत्री आयु.....निवासी
को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

आपको एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उक्त बालक द्वारा तथाकथित अपराध के सामाजिक पूर्ववृत्त,
पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों की जाँच कर लें और अपनी सामाजिक जाँच-पड़ताल रिपोर्ट को
अथवा से पूर्व, अथवा बोर्ड द्वारा आपको दिए गए समय के अन्दर प्रस्तुत करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि बाल-मनोविज्ञान, मानसिक उपचार अथवा परामर्शी अथवा अन्य
किसी विशेषज्ञ से, यदि आवश्यक हो, परामर्श कर लें और अपनी सामाजिक जाँच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत
करें।

तारीख:

हस्ताक्षर
प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-6

[नियम 10(9), 11(2), 64(1), 64(3)(i)]

सामाजिक जाँच रिपोर्ट

कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए

क्रम संख्या-.....

किशोर न्याय बोर्ड, (पता) को प्रस्तुत।

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक/गैर सरकारी संगठन (व्यक्ति का नाम)

प्राथमिकी संख्या

धारा के अन्तर्गत

पुलिस स्टेशन

तथाकथित अपराध की प्रकृति: लघु गंभीर जघन्य

1. नाम
2. आयु/तारीख/जन्म का वर्ष
3. लिंग
4. जाति
5. धर्म
6. पिता का नाम
7. माता का नाम
8. संरक्षक का नाम
9. स्थायी पता
10. पते का लैंडमार्क
11. पिछले आवास का पता
12. पिता/माता/पारिवारिक सदस्य की सम्पर्क संख्या
13. क्या बाल विकलांग है:-
 - I. श्रवण अक्षमता
 - II. वाणी अक्षमता
 - III. शारीरिक निःशक्तता
 - IV. मानसिक निःशक्तता
 - V. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

14. परिवार के ब्यौरे:-

क्र० सं०	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मनसिक रूग्णता का पूर्ववृत्त (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. क्या बालक अथवा व्यक्ति विवाहित है, पति-पत्नी/बच्चों का नाम, आयु तथा ब्यौरा-

16. परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध

- I. पिता तथा माता मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- II. पिता तथा बालक मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- III. माता तथा बालक मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- IV. पिता तथा सहोदर बहन-भाई मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- V. माता तथा सहोदर बहन-भाई मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- VI. बालक तथा सहोदर बहन-भाई मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं
- VII. बालक तथा दादा-दादी (पैतृक/मातृक) मैत्रीपूर्ण/गैर-मैत्रीपूर्ण/जानकारी नहीं

17. अपराधों में परिवार के सदस्यों की भागीदारी यदि कोई हो:

क्र० सं०	नातेदारी	अपराध की प्रकृति	मामले की कानूनी स्थिति	गिरफ्तारी यदि कोई की गई हो	कारावास की अवधि	दिया गया दण्ड
1	पिता					
2	सौतेला पिता					
3	माता					
4	सौतेली माता					
5	भाई					
6	बहन					
7	अन्य I. चाचा/चाची II. दादा/दादी/नाना/नानी					

18. बालक तथा परिवार की धर्म के प्रति अभिवृत्ति

19. वर्तमान जीवन-निर्वाह की परिस्थितियाँ

20. महत्व के अन्य कारण, यदि कोई हो

21. (i) बालक की आदतें (जैसा भी लागू हो करें)

क	ख
क) धूम्रपान	(छ) टी0बी0 / फिल्में देखना
ख) शराब का सेवन	(ज) अंतरंग/बहिरंग खेल खेलना
ग) स्वापक का प्रयोग (निर्दिष्ट करें)	(झ) पुस्तकें पढ़ना
घ) जुआ खेलना	(ञ) धार्मिक कार्यकलाप
ज) भीख मांगना	(ट) ड्राईंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
च) अन्य कोई	(ठ) अन्य कोई

(ii) पाठ्येत्तर रुचियाँ

(iii) उत्कृष्ट विशेषताएँ तथा व्यक्तित्व विशेषताएँ

22. घर में अनुशासन के प्रति बालक की राय तथा विशेषताएँ

23. बालक के रोजगार के ब्यौरे यदि कोई हो

24. आय के ब्यौरे तथा आय-उपयोग करने का तरीका

25. कार्य-अभिलेख (व्यावसायिक रुचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी अथवा नियोक्ता के प्रति अभिवृत्ति)

26. बालक की शिक्षा के ब्यौरे

I. निरक्षर

II. कक्षा V तक अध्ययन

III. कक्षा V से ऊपर बल्कि कक्षा VII से नीचे अध्ययन किया

IV. कक्षा VII से ऊपर बल्कि कक्षा X से नीचे अध्ययन किया

V. कक्षा X से ऊपर अध्ययन किया

27. बालक के प्रति कक्षा के साथियों की अभिवृत्ति (रवैया):

28. बालक के प्रति शिक्षकों तथा साथियों की अभिवृत्ति (रवैया):

29. स्कूल छोड़ने के कारण (हाँ/नहीं करें जैसा भी लागू हो):

I. पिछली कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा था, फेल हुआ

II. स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव

III. शिक्षकों का उपेक्षा पूर्ण रूख

IV. समकक्ष-समूह का अभाव

V. कमाना और परिवार की मदद करना

VI. माता-पिता की असामयिक मृत्यु

VII. स्कूल में डराना धमकाना

VIII. स्कूल का कड़ा वातावरण

IX. स्कूल से अनुपस्थिति तथा स्कूल से भाग जाना

- X. नजदीक में आयु के उपयुक्त स्कूल नहीं होना
 XI. स्कूल में दुर्व्यवहार
 XII. स्कूल में अपमान
 XIII. शारीरिक दंड
 XIV. शिक्षण का माध्यम
 XV. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
30. पिछला स्कूल, जहाँ अध्ययन किया, उसके ब्यौरे
 I. निगम/नगर-निगम/पंचायत
 II. सरकारी/अनु0जा0 कल्याण स्कूल/पि0वर्ग कल्याण स्कूल
 III. प्राईवेट प्रबंधन
 IV. एन0सी0एल0पी0 के अन्तर्गत विद्यालय
31. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो
32. अधिकांश मित्र:-
 i. शिक्षित
 ii. निरक्षर
 iii. उसी आयु वर्ग के
 iv. आयु में बड़े
 v. आयु में छोटे
 vi. एक ही लिंग के हैं
 vii. अन्य लिंग के हैं
 viii. व्यसनी
 ix. आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं
33. बालक की मित्रों के प्रति अभिवृत्ति
34. बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति
35. बालक के प्रति पड़ोसियों का प्रेक्षण
36. पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर पड़ोस के प्रभाव का आकलन करने के लिए)
37. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है : हाँ/नहीं

क्र० सं०	दुर्व्यवहार का प्रकार	अभ्युक्ति
1	मौखिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदर-भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदर-भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

38. क्या बालक किसी अपराध का पीड़ित है हाँ/नहीं
39. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के समूह द्वारा किया जा रहा है अथवा बालकों स्वापक के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ/नहीं
40. क्या बालक की प्रवृत्ति घर से भागने की है, यदि कोई हो, हाँ/नहीं
41. वे परिस्थितियाँ जिनमें बालक को गिरफ्तार किया गया था
42. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका
43. तथाकथित अपराध का कारण
 i. माता-पिता की उपेक्षा
 ii. माता-पिता का अति संरक्षण
 iii. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
 iv. माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)
 v. हम उम्र समूह का प्रभाव
 vi. बुरी आदतें (स्वापक/मदिरा खरीदना)
 vii. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

44. क्या बालक के पहले भी किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, यदि हाँ तो बाल देखरेख संस्था में आवास सहित ब्यौरे दें। हाँ/नहीं
45. पिछली संस्थानिक/मामला पूर्ववृत्त तथा वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो।
46. बालक का शारीरिक रूप:
47. बालक के स्वास्थ्य की स्थिति (चिकित्सा जाँच रिपोर्ट सहित, यदि लागू हो):
48. बालक की मानसिक स्थिति:
49. अन्य कोई टिप्पणी

जाँच का परिणाम

1. भावनात्मक कारण
2. शारीरिक स्थिति
3. बुद्धिमता
4. सामाजिक तथा आर्थिक कारक
5. समस्याओं के सुझाए गए कारण
6. अपराध के कारणों/कारणों में अंशदायी कारकों का विश्लेषण
7. परामर्श किए गए विशेषज्ञों की राय
8. परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पुनर्वास के संबंध में सिफारिश

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण समिति/
सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील
जहाँ उपलब्ध हो

प्ररूप-7

[नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 691(3)]
वैयक्तिक देखरेख योजना (वै0दे0यो0)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक
(जो लागू हो उसे सही करें)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का नाम

वै0दे0यो0 तैयार करने की तारीख

20..... का मामला/प्रोफाइल संख्या

प्र0सू0रि0 संख्या

धारा के अन्तर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में लागू

पुलिस स्टेशन

बोर्ड अथवा समिति का पता

भर्ती संख्या (यदि बाल संस्था में है)

भर्ती की तारीख (यदि बाल संस्था में है)

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

- i. अल्प कालिक (6 मास तक)
- ii. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
- iii. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरे (संस्था में बालक की भर्ती पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम
2. आयु/जन्म की तारीख
3. लिंग: बालक/बालिका
4. पिता का नाम
5. माता का नाम
6. राष्ट्रियता
7. धर्म
8. जाति
9. बोली जाने वाली भाषा
10. शिक्षा का स्तर

11. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हों
12. बालक की आय तथा समान के ब्यौरे, यदि कोई हों
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों
14. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक जाँच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों तथा मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें:

क्र०सं०	श्रेणी	चिंता के क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पखवाड़े में तैयार की जाए तथा पत्पश्चात् मास में एक बार तैयार की जाए) [टिप्पण: प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का प्रयोग करें]

1. परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी का नाम
2. रिपोर्ट की अवधि
3. भर्ती संख्या
4. बोर्ड अथवा समिति
5. प्रोफाईल संख्या
6. बालक का नाम
7. बालक के रहने की अवधि (जैसा प्रयोज्य हो, भरे)
 - I. अल्पकालिक (6 मास तक)
 - II. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
 - III. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)
8. साक्षात्कार का स्थान तारीख
9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का साधारण आचरण तथा प्रगति

10. इस प्ररूप के भाग-क के बिन्दु 14 में यथाउल्लिखित प्रस्तावित मध्यक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्र०सं०	श्रेणी	प्रस्तावित मध्यक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें		
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	स्वयं देखरेख तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार उपेक्षा तथा गलत बरताव से संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसका		

बालक के विकास पर प्रभाव पड़ा हो, जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
---	--	--

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

- I. बंध पत्र की शर्तों में फेरबदल
- II. बालक के निवास में परिवर्तन
- III. अन्य मामले, यदि कोई हैं

12. पर्यवेक्षण की अवधि को पूरी की गई।

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी के साथ

माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम तथा पता जिसकी देखरेख में बालक को पर्यवेक्षण समाप्त होने के बाद रहना है

रिपोर्ट की तारीख परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

ग. निर्मुक्त होने से पूर्व रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

1. स्थानान्तरण के स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरित स्थान निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी
2. विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे
3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल
4. बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग-ख देखें)
5. बालक की पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र०सं०	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध	
7.	धार्मिक विश्वास	
8.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण	
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
10.	अन्य कोई	

6. निर्मुक्त होने/स्थानान्तरण/संप्रत्यावर्तन की तारीख

7. अनुरक्षा की माँग, यदि अपेक्षित हो

8. अनुरक्षा की पहचान का प्रमाण – जैसे कि चालन अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड आदि

9. संभव नियोजन/प्रत्योज्यता सहित अनुशासित पुनर्वास योजना

10. रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिवीक्षा अधिकारी/गैर सरकारी संगठन के ब्यौरे

11. रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए)

12. प्रायोज्यता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो

13. प्रायोज्यता अभिकरण तथा वैयक्तिक प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाएँ)

14. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जाँच रिपोर्ट

15. अन्य कोई जानकारी

घ. बालक की निर्मुक्ति पश्च/पुनः स्थापन रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति: बंध/अंतरित

2. बालक की आय तथा माल-असबाब: बालक को अथवा उसके माता-पिता/संरक्षक को सौंपा गया
माता-पिता/संरक्षक- हाँ/नहीं

3. परिवीक्षा अधिकारी बालक की रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत की रिपोर्ट
4. पुनर्वास तथा पुनः स्थापन योजना के संदर्भ में की गई प्रगति
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/अभिवृत्ति
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ोसियों/समाज का रुख
7. बालक अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है
8. क्या बालक को एक स्कूल अथवा किसी व्यवसाय में दाखिल किया गया है? स्कूल/संस्थान/अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा तारीख दें।
9. क्रमशः दो मास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट
10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास/इसके बारे में बालक की राय/विचार
11. पहचान पत्र तथा प्रतिकर

[अनुदेश: कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यापन करें]

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)		की गई कार्रवाई
	हाँ	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी0पी0एल0 कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
प्रतिरक्षण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्रतिकर प्राप्त हुआ			

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहाँ उपलब्ध हो।

प्ररूप-8

[नियम 11(6)]

माता-पिता/संरक्षक/योग्य व्यक्ति जिसकी देखरेख में कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा गया है द्वारा निष्पादित की जाने वाली वचनबद्धता/बंध पत्र

जबकि, मैं माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, योग्य व्यक्ति की हैसियत से जिसकी देखरेख में (बालका नाम) को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आदेश बगैर जमानत के एक वचनबद्धता/बंध पत्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया है, मैं एतद् द्वारा उक्त के अच्छे व्यवहार तथा तंदुरुस्ती के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ और से प्रभावी वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य करता हूँ।

1. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को लिखित में पूर्व सूचित किए बगैर अपने निवास के स्थान में परिवर्तन नहीं करूँगा;
2. कि मैं बोर्ड की लिखित में अनुमति पूर्व में प्राप्त किए गए बगैर किशोर न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार की सीमाओं से उक्त बालक को नहीं हटाऊँगा;
3. कि मैं उक्त बालक को प्रतिदिन स्कूल/ऐसे व्यवसाय में भेजूँगा जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जब तक कि उन परिस्थितियों जो नियंत्रण से बाहर हो, ऐसा करने से रोका जाए;
4. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी की सहायता से वैयक्तिक देखरेख योजना को निष्ठापूर्वक प्रभावी करूँगा;
5. कि मैं जब कभी भी बोर्ड को आवश्यकता हुई, बोर्ड को तत्काल रिपोर्ट करूँगा और जब कभी भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निदेश दिए जाएंगे बालक को प्रस्तुत करूँगा;

6. कि मैं उक्त बालक को अपनी देखरेख में बोर्ड के समक्ष पेश करूँगा, यदि वह बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करता/करती है अथवा उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाता है;
7. कि मैं यदि बालक नियंत्रण/उत्तरदायित्व से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को रिपोर्ट करूँगा;
8. कि मैं परिवीक्षा अधिकारी को अनिवार्य सहायता प्रदान करूँगा ताकि वह पर्यवेक्षण के कर्तव्यों को पूरा कर सकें;

यहाँ चूक करने की स्थिति में, मैं यह वचन देता हूँ कि मैं बोर्ड के समक्ष उपस्थित होऊँगा और सरकार को
..... रुपये 20..... के दिन तारीख

वचनबद्धता/बंध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, उन्हें उपयुक्त रूप से क्रम संख्या देकर शामिल कर लिया जाए;
(जहाँ जमानतियों के साथ बंध पत्र निष्पादित किया जाता, इसे शामिल किया जाए)

मैं/हम..... के(पूरे विवरणों के साथ निवास का स्थान) एतद् द्वारा उक्त
..... के लिए (वचनबद्धता/बंध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) जमानती/जमानतियों के रूप में स्वयं
घोषित करते हैं कि मैं/हम इस वचनबद्धता/बंध पत्र की निबंधन तथा शर्तों का पालन करूँगा/ करेंगे। यदि
.....(अनुबंध निष्पादित करने वाले का नाम) द्वारा कोई चूक करने की स्थिति में मैं/हम स्वयं संयुक्त रूप से
अथवा पृथक रूप से एतद् द्वारा की उपस्थिति में 20..... के दिन तारीख
..... को रुपये (..... रुपये) की राशि सरकार को जुर्माने के रूप में देंगे।

जमानती (तियों) के हस्ताक्षर
(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-9

नियम 11(7)

बालक द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र

चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के
अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह आदेश दिया गया है कि मुझे
..... निवासी (मकान नं0, सड़क, गाँव/शहर, तहसील, जिला राज्य का पूरा ब्यौरा दें)
को आगे दर्शाई गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र भरे जाने पर मेरे मूल निवास स्थान
पर वापस भेज दिया जाए। इसलिए अब मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि अवधि के
दौरान इन शर्तों का पालन करूँगा।

मैं स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ:

1. अवधि के दौरान सामान्यतया उस गाँव/शहर/जिले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा जहाँ
मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना न तो लौटूँगा और न ही उक्त
जिले से बाहर कहीं जाऊँगा;
2. उक्त अवधि के दौरान मैं उस गाँव/शहर अथवा जिले में स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाऊँगा, जहाँ
मुझे भेजा जा रहा है;
3. उक्त जिले में अन्य कहीं स्थित स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में, मैं उक्त बोर्ड को
अपने सामान्य निवास स्थान की सूचना दूँगा;

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जिन्हें मुझको पढ़कर सुनाया/समझाया गया है और
मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

(बालक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें (बालक का
नाम) को पढ़कर सुनाई/समझा दी गई हैं तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसे
सुरक्षित अभिरक्षों में रखा जा सकता है।

तदनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक को (तारीख) को छोड़/रिहा कर दिया गया है।

हस्ताक्षर
प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-10

[नियम 11(9) और 64(3) (xiii)]

परिवीक्षा पर निर्मुक्त बालक की सामयिक रिपोर्ट

जब एक बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जाता है तब परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्राथमिकी संख्या .
..... पुलिस स्टेशन धारा के अधीन बनाम के मामले में
जबकि (बालक का नाम) आयु को(तारीख) को कानून का उल्लंघन
करने वाला बालक पाया गया है और उसे(माता-पिता/संरक्षक/योग्य व्यक्ति/उपयुक्त-सुविधा
की देखरेख में और उसे के (परिवीक्षा अधिकारी का नाम) पर्यवेक्षण में रखा गया है।

पंजीकरण संख्या	आयु (अनुमानतः)	लिंग-बालक/बालिका
नाम:-	पिता का नाम:-	धर्म:-
शिक्षा:-	व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो	भाषा (ओं) का ज्ञान
न्यायालय की अगली तारीख:-	नियोजन, यदि कोई है	भर्ती की तारीख (योग्य व्यक्ति/ योग्य सुविधा के मामले में)

मामले का ब्यौरा तथा सार

.....
.....
.....

1. आरंभिक ब्यौरे:

दौर की तारीख / /

माता-पिता/संरक्षक का नाम

गृह में रहने वाले उन अन्य वयस्कों के नाम जिनके साथ परिवीक्षा अधिकारी ने बातचीत की:

क.

ख.

ग.

2. प्रेक्षण:

I. बालक का व्यवहार

II. बालक के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति/जरूरतें तथा परिवार:

III. परिवार के साथ बालक के अंतर-व्यक्तिगत संबंध

IV. मित्रों के साथ बालक के अंतर-व्यक्तिगत संबंध

V. परिवार में सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण

VI. घर में समक्ष आई परिवर्तन

VII. बालक द्वारा लिया गया व्यावसायिक-प्रशिक्षण, यदि कोई हो

VIII. बालक का समाज विरोधी कार्यकलापों अथवा हानिकारक कार्यकलापों में लिप्त होना (उदाहरण के लिए डराना घमकाना, हिंसात्मक-प्रकोप, तोडफोड, स्वयं-हानि, मिथ्यावादी, अवज्ञा, आवेगशील, सहानुभूति का अभाव, यौन विकृति कार्य आदि का प्रदर्शित हो सकता है).....

IX. पिछली बार किसी समाज विरोधी व्यवहार अथवा हानिकारक कार्यकलापों के बाद बीता गया समय ...

3. स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा

I. स्कूल/केन्द्र का नाम

II. अध्यापक/प्रधानाचार्य जिसमें भेंट हुई

III. प्रेक्षण किया गया कोई असामान्य व्यवहार

- IV. बालक की प्रगति के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी
- V. बालक के प्रति हम उम्मीदों की अभिवृत्ति
- VI. हम उम्मीदों के प्रति बालक की अभिवृत्ति
4. रोजगार के स्थान का दौरा:
- I. कार्य की प्रकृति
- II. कार्य के घंटे
- III. कार्य के प्रति बालक की अभिवृत्ति
- IV. किसी श्रम कानून, कम मजदूरी अथवा रोकी गई मजदूरी, यदि पाया गया है, का उल्लंघन और नियोक्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई
5. क्या आपने बालक के साथ प्राईवेट रूप से बोलने में समय बिताया है? हैं नहीं
यदि नहीं तो कारण बताएँ
6. वैयक्तिक देखरेख के अन्तर्गत (पुनर्वास और पुनः स्थापन योजना के अनुसार प्रगति)
7. वैयक्तिक देखरेख योजना के अन्तर्गत पुनर्वास तथा पुनः स्थापन योजना में आशोधन के लिए सिफारिशें:
द्वारा तैयार किया गया:
(परिवीक्षा अधिकारी / /(तारीख)
योजना: अगले दौरे की तारीख:
कार्रवाई का मुद्दा यदि कोई हो:

(हस्ताक्षर)
(परिवीक्षा अधिकारी)

प्ररूप-11

[नियम 12(1)]

मामला मॉनीटररी शीट

(यदि बालकों की संख्या एक से अधिक हो तो अलग कागज का प्रयोग करें)

किशोर-न्याय बोर्ड, जिला-.....

मामला सं०-..... से संबंधित

मामले का नाम:

पुलिस थाना	तिथि
धारा	प्र०सू०रि०/जीडी/डीडी संख्या
परिवीक्षा अधिकारी का नाम	जाँच अधिकारी का नाम
वकील का नाम	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम
(वकील न किए जाने की स्थिति में सरकारी वकील उपलब्ध कराएँ)

अपराध की श्रेणी
गौण
(अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद)
गंभीर
(अधिकतम दंड: 3 से 7 वर्ष तक कैद)
जघन्य
(न्यूनतम दंड: 7 वर्ष तक कैद या इससे अधिक)

बालक की विशिष्टियाँ			
नाम	माता-पिता/संरक्षक सम्पर्क संख्या सहित	वर्तमान पता	स्थायी पता
बच्चे के पकड़े जाने की तिथि और समय प्रथम बार पेश करने की तिथि और समय			
दं०प्र०सं० की धारा 54 के अधीन चिकित्सा जाँच की तिथि			
आयु निर्धारण अपराध की तिथि को आयु आयु निर्धारण करने की तिथि आयु निर्धारण के लिए लिया गया समय निर्धारणकर्ता बोर्ड न्यायालय वह साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया: दस्तावेज चिकित्सा			

बालक को संरक्षण में लेना		
प्रेक्षण (निगरानी) गृह/सुरक्षित स्थान में	जमानत प्रदान करने की तिथि	किसके पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्थान का नाम)
..... से को		

जाँच की प्रगति

(प्रथम पेशी के दिन मामले के निपटान के लिए समय अनुसूची)

कार्रवाई	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि
सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में पुलिस की रिपोर्ट (प्रपत्र सं०-1 में)	तिथि	
जमानत पर विचार	तिथि	
आयु निर्धारण	तिथि	
परिवीक्षा अधिकारी की एसआईआर (प्रपत्र सं०-6 में)	तिथि	
पुलिस द्वारा जाँच पूरी होने पर दं०प्र०सं० की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट	तिथि	
आगामी जाँच के प्रावधानों पर रिपोर्ट, यदि कोई हो	तिथि	
दं०प्र०सं० की धारा 251 के अन्तर्गत नोटिस	तिथि	
अभियोजन साक्ष्य (..... से को) (साक्ष्यों की संख्या के आधार पर तिथियाँ निरंतर निश्चित की जा सकती)	तिथि	
दं०प्र०सं० की धारा 281 के अन्तर्गत किशोर का वक्तव्य (कथन)	तिथि	
प्रतिवादी साक्ष्य	तिथि	
पृथक देखरेख योजना (सांस्थानिक देखरेख अधीन बच्चे के मामले में, प्रवेश के एक मास के भीतर, पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए।	तिथि	
अंतिम तर्क	तिथि	
निपटान (अंतिम) आदेश	तिथि	
निपटान आदेश के पश्चात् समीक्षा	तिथि	

हस्ताक्षरकर्ता
किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप-12

[नियम 12(2)]

किशोर न्याय बोर्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट

जिला:

..... से तक की अवधि की त्रैमासिक रिपोर्ट

किशोर न्याय बोर्ड का विवरण:

क्रम सं०	विवरण	नियुक्ति की तिथि	किस प्रशिक्षण में भाग लिया
	प्रधान मजिस्ट्रेट		
	सदस्य 1		
	सदस्य 2		

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा आश्रय गृहों का दौरा दौरे निरीक्षण की तिथि: आश्रय गृह का नाम: टिप्पण:
प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा कारागार का दौरा दौरे की तिथि: क्या कोई बच्चा पाया गया: कार्रवाई:

तिमाही के दौरान दर्ज मामले				
	गौण	गंभीर	अघन्य	कुल
मामलों की सं०				
बच्चों की संख्या				
जमानत पर रिहा बच्चों की संख्या				
प्रेक्षण गृहों में भेजे गये बच्चों की संख्या				
ऐसे मामलों की संख्या जिसमें निर्धारित समय में प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।				

लंबित मामले							
मामले की किस्म	पुराने मामले	नये मामले	निपटान	वर्तमान से लंबित मामले			
				4 मास से कम	4 से 6 मास तक	6 मास से एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक
गौण							
गंभीर							
जघन्य							
कुल							
निपटान किए गए	अन्य कि०न्या०बो० को स्थानान्तरित	मृत्यु के कारण बंद किए गए	विदेशों को प्रेषित	बाल न्यायालयों को स्थानान्तरित	उपशामिल घोषित एवं फाईल समानुद्देशित	नियम के अंतर्गत समाप्त/ बंद किए गए (प्रस्तुति/पेशी उपरान्त प्रक्रिया)	निर्मुक्त किए गए/ अपराधिक विवरण
बालकों द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में निपटान संबंधी आदेशों के प्रकार (आदेशों की संख्या का उल्लेख करें)							

प्राप्त शिकायत/सुझाव, यदि कोई हो और की गई कार्रवाई।
बोर्ड की टिप्पणी/सुझाव क. प्रधान जिला अधिकारी, ख. सदस्य: 1 ग. सदस्य: 2

प्रधान मजिस्ट्रेट	सदस्य-1	सदस्य-2
-------------------	---------	---------

प्ररूप-13

[नियम 13(8)(iv)]

सुरक्षा के स्थान पर बच्चे की आवधिक समीक्षा

..... बनाम के मामले में प्र०सू०रि० सं० ..
..... पुलिस थाना धाराएँ
..... (बालक का नाम), तारीख को
आयु, तारीख को विधि के विरुद्ध कार्य करते हुए पाया गया है और उसे
..... (सुरक्षा स्थान का नाम) में रखा गया है।

सुरक्षा स्थान में प्रवेश करने की तिथि—

समीक्षा अवधि:..... से..... तक

बालक का नाम

पिता का नाम

भर्ती की तिथि

अगली सुनवाई की तिथि

1. मामले का विवरण और सारांश

2. वैयक्तिक देखरेख योजना (प्रतिलिपि संलग्न करें)
.....
.....3. वैयक्तिक देखरेख योजना के अनुसार पाक्षिक प्रगति:.....
.....

4. नये हितों का विवरण?

5. बालक द्वारा की गई सामाजिक मनःस्थिति में प्रगति: (सामाजिक मनः स्थिति विशेषज्ञ की सहायता से तैयार की जाए).....

I. मानसिक स्थिति का मूल्यांकन

क. रूप (देख गया)— संभव विवरण: रंग—ढंग वस्त्र, बनाव—श्रृंगार

ख. व्यवहार (अनुभव किया गया)—संभव विवरण: • शिष्टता, हाव—भाव संकेत, मनःस्थिति क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति, आँख मिलाना, आज्ञा/अनुरोध का अनुसरण करने की योग्यता, जोर जबरदस्ती या विवशताएँ।

II. अभिवृत्ति (अनुभव की गई)—संभाव्य निरूपक, •सहयोगात्मक, उग्र, खुला, घुन्ना, बहानेबाज, शंकालू, उदासीन, अनमना, एकाग्र, रक्षात्मक

III. अभिज्ञता का स्तर (अनुभव किया गया)—संभाव्य निरूपक, •चौकस, सतर्क, शिथिल, आलसी, भावशून्य, निष्क्रिय, भ्रमित, वैचारिक दृष्टि से अस्थिर

- IV. अभिमुखता (जाँच)—संभावित प्रश्न “आपका पूरा नाम क्या है?” हम कहाँ पर हैं (तल, भवन, शहर, देख और राज्य)?” • “आज के दिन का पूरा विवरण (तिथि, मास, वर्ष, सप्ताह का दिन, और वर्ष का मौसम)?” हम किस स्थिति में हैं, इसे आप कैसे बयां करोगे?”
- V. बोलचाल और भाषा (अनुभव की गई) क. मात्रा—संभाव्य निरूपक • वातूनी, सहज, शांत ख. दर—संभाव्य निरूपक: तीव्र, धीमा, सामान्य, दबाव—अधीन, ग. आवाज (शैली).
- VI. भावदशा अथवा मिजाज (जाँच की गई): स्थिर आंतरिक स्थिति का अवलोकन—संभावित प्रश्न: • “आप कैसा महसूस कर रहे हैं?” • “क्या आपको निरुत्साहित किया / दबाव में रखा / नीचा दिखाया गया है?” • “क्या आप बाद में उत्प्रेरित / खुशहाल / वास्तविकता से ऊपर / नियंत्रण से बाहर हुए हैं?” • “क्या आप कभी नाराज / चिढ़चिढ़े हुए हैं?”
- VII. प्रभाव (अनुभव किया गया): आन्तरिक स्थिति की अभिव्यक्ति देखी गई।
- VIII. सोच विचार या चिंतन प्रक्रिया (जाँच / अनुभव की गई): तर्क, प्रासंगिकता, संघटन, साक्षात्कार के दौरान सामान्य प्रश्नों के उत्तरों में प्रवाह और सामंजस्य—संभाव्य निरूपक, निदेशित लक्ष्य, परिस्थितिजनक, लचर—संबंध, असामंजस्यपूर्ण, बहानेबाज, परिश्रमपूर्वक.
- IX. विचार विषय (पूछा / अनुभव किया गया)
- X. आत्मघाती और हिंसक—मूल्यांकन
- XI. आंतरिक नजरिया (पूछा / अनुभव किया गया)—
- XII. ध्यान (पूछा / अनुभव किया गया)—
- XIII. ग्लानि / पश्चाताप: उपस्थित / अनुपस्थित
6. शिक्षा / व्यासायिक पुनर्वास कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति।
- कार्यक्रम के लिए प्रेरणा
 - सहयोगात्मक स्तर
 - नियमितता
 - कार्य / निष्पादन की गुणवत्ता
7. व्यक्ति पर सांस्थानिक प्रभाव
8. मूल्यांकन / आवधिक अनुवर्ती कार्रवाई का दृष्टिकोण
- लोक सुरक्षा के साथ कार्यक्रमों / सुविधाओं में उपचार और पुनर्वास की इच्छा तथा प्रतिभागिता की योग्यता, सिफारिश (व्यक्ति को छोड़ दिया जाए या शर्तों पर छोड़ा जाए या उसे अभी संस्थान में रखना आवश्यक है, का औचित्य विवरण सहित)
- तिथि : / /
- स्थान :
- नाम :
- पदनाम :
- हस्ताक्षर :
- सिफारिश / निष्कर्ष:.....
- हस्ताक्षर / मुहर
- तैयारकर्ता:
- (परिवीक्षा अधिकारी / / (तिथि)

प्ररूप-14

[नियम 7 (ii), 13(8)(vi)(ग)(गघ), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69ड.(2), 64झ(4), 69ञ(1), 69ञ(3)]

पुनर्वास कार्ड

प्र0सु0रि0/मामला सं0

धारा:

पुलिस थाना

अपराध की किस्म: गौण, गंभीर, जघन्य, (विधि के विरुद्ध बच्चे के मामले में)

परिबीक्षा अधिकारी का नाम/बाल कल्याण अधिकारी/पुनर्वास एवं स्थापन अधिकारी:

.....

बालक का नाम:

आयु:

लिंग:

पिता का नाम:

माता का नाम:

भर्ती संख्या:

भर्ती की तिथि:

अस्थायी छूट/छूट की तिथि:

वैयष्टिक देखरेख योजना के अन्तर्गत प्राप्त सेवाएं-

संकेतक	बालक की देखरेख और बचाव संबंधी अपेक्षाएँ
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
	स्वास्थ्य एवं पोषण
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
पूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता	

प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
शिक्षा और प्रशिक्षण	
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
मौज-मस्ती, सृजन और खेलकूद	
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
संबद्ध और अंतर-वैयक्तिक संबंध	
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
स्व-देखरेख और सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा दुराचार से बचाव के लिए जीवन संबंधी कौशल का प्रशिक्षण	
प्रथम मास	योजना:

	परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
	स्वतंत्र रूप से जीने का कौशल
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:
	मानव दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, माता पिता द्वारा उपेक्षा विद्यालयों में डराना धमकाना आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुभाव जिसने बच्चे के विकास को प्रभावित किया हो।
प्रथम मास	योजना: परिणाम:
दूसरे मास	योजना: परिणाम:
तीसरे मास	योजना: परिणाम:
चौथे मास	योजना: परिणाम:

बालकों की दी जाने वाली अन्य सेवाएँ, जैसे मुआवजा, अन्य फायदे आदि

प्रमाणित मनोविज्ञानी की विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, पुर्नवास कार्ड के साथ संलग्न की जाए। कथित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के कारण और रिपोर्ट की तिथि (अस्थायी छूट/छूट/या कोई अन्य) वैयक्तिक देखरेख योजना के कथित पहलुओं की दृष्टि से बच्चे द्वारा की गई समग्र प्रगति।

बच्चे द्वारा स्वीकार्यता तथा अपने कार्यों और उसके परिणामों को समझाना।

बच्चे द्वारा सुधार करने की इच्छा।

बच्चे का व्यवहार और आचरण।

कानून विरोधी कार्य करने पर बाल देखरेख संस्थान में न रखे गए बच्चे के मामले में परिवार या पड़ोसी द्वारा बताया गया कोई अपराध जो बच्चे द्वारा किया गया हो।

हस्ताक्षरकर्ता

कि०न्या०बो०/बा०क०स०

प्रपत्र-15

[नियम 17 (i)]

बाल कल्याण समिति द्वारा अनुरक्षित मामले का सारांश

मामला सं०.....

मामले का अभिलेख

1. बच्चे का नाम
2. पिता/माता/संरक्षक का नाम (यदि उपलब्ध हो)
3. बच्चे को प्रस्तुत करने की तिथि
4. बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम
5. अनुवर्ती कार्रवाईयों की तिथियों का विवरण (समिति के समक्ष बच्चे से संबंधित)
6. बा०क०स० द्वारा पारित आदेश (लागू पर सही का निशान लगाएं)
 - I. घोषणा कि बच्चे को देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - II. बच्चे की आयु का पता लगाना।
 - III. चिकित्सा जाँच।
 - IV. आंतरिक अभिरक्षा।
 - V. उद्घोषणा (माता-पिता, संरक्षक या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, यदि लागू हो)
 - VI. मामले संबंधी कार्यकर्ता और एनजीओ आदि की नियुक्ति के आदेश।
 - VII. क्षतिपूर्ति/मजदूरी की वसूली (यदि लागू हो) के लिए आदेश।
 - VIII. स्थानान्तरण आदेश।
 - IX. अंतिम आदेश (जाँच निष्कर्ष)
 - X. कोई अन्य आदेश,
7. चिकित्सा अभिलेख आयु जाँच सहित समग्र रूप से
8. सामाजिक जाँच रिपोर्ट, प्रपत्र 22 में।
9. वैयक्तिक देखरेख योजना के अधीन प्रपत्र 7
10. पुनर्वास कार्ड, प्रपत्र 14
11. मामले का विवरण, प्रपत्र 43
12. प्रायोज्यता/पालन-पोषण देखरेख/गोद लेने संबंधी सेवाओं (यदि लागू हों) के संबंध में सभी विवरण, दस्तावेज और अभिलेख

तिथि:

स्थान:

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति

प्ररूप-16

[नियम 17(अ), 20(2)]

बाल कल्याण समिति की तिमाही रिपोर्ट

जिला

..... से तक की अवधि की तिमाही रिपोर्ट,

बा०क०स० का वितरण

क्रम संख्या	विवरण	नियुक्ति की तिथि	किन प्रशिक्षणों में भाग लिया
	अध्यक्ष		
	सदस्य 1		
	सदस्य 2		
	सदस्य 3		
	सदस्य 4		

बा०क०स० के पास मामलों का विवरण

क्रम संख्या	तिमाही के आरंभ में मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या	लंबित होने के कारण

अंतिम आदेश							
तिमाही के दौरान पारित अंतिम आदेशों की कुल संख्या							
माता-पिता / संरक्षक / स्वस्थ व्यक्ति / उपयुक्त संस्थान को जारी	अन्य बा0क0स0 को स्थानान्तरित	बा0सं0सं0 में ठहरने के लिए आदेशित	विदेश को प्रेषित	कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए मुक्त घोषित	पालन-पोषण देखरेख / प्रायोजन / प्राश्चातिक देखभाल के लिए आदेशित	प्र0सू0रि0 दर्ज करने के लिए कि0न्या0बो0 को सिफारिश की गई	पात्र होने की स्थिति में बालक को प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रिया आरंभ

अध्यक्ष/सदस्य द्वारा बाल गृहों की दौरा
दौरे की तिथि:

बाल-गृह का नाम और पता:

समिति की टिप्पणी/सुझाव

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
मुहर

प्ररूप 17

[नियम 18(2), 19(25)]

बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं0

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया

प्रस्तुत करने की तिथि प्रस्तुत करने का समय

प्रस्तुत करने का स्थान

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण:

I. व्यक्ति का नाम

II. उम्र

III. लिंग

IV. पता

V. सम्पर्क फोन संख्या

VI. व्यवसाय/पदनाम

VII. संगठन/बा0सं0सं0/एसएए का नाम

2. प्रस्तुत किया गया बालक:

I. नाम (यदि कोई है).....

II. आयु (आयु लिखें/शकल सूरत के आधार पर आयु लिखें)

III. लैंगिकता

IV. पहचान चिह्न.....

V. बच्चे की भाषा

3. माता-पिता/संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):

I. नाम

II. आयु

III. पता

IV. सम्पर्क (फोन) संख्या

V. व्यवसाय

4. स्थान जहाँ बच्चा प्राप्त हुआ

5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया:

I. नाम.....

II. आयु

- III. पता
- IV. सम्पर्क (फोन) संख्या
- V. व्यवसाय
6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया?
7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण
8. बच्चे की शारीरिक स्थिति
9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान
10. बच्चे के बा0क0स0/एसएए में आने की तिथि और समय
11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास?.....
12. क्या बच्चे की चिकित्सा जाँच की गई है?.....
13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है?.....

बच्चे के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा0स0स0 के प्रभारी व्यक्ति/एसएए/कोई भी नागरिक/स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरा जाए)

प्ररूप 18

[नियम 18(5), 18(9) और 19(26)]

बालक को किसी संस्था में भेजने संबंधी आदेश

(बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए)

मामला सं०.....

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

जबकि बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत देख-रेख और बचाव अधीन (बालक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री श्री
..... आयु निवासी/.....
..... को, मास 201...के दिन, अवधि के लिए, बाल गृह/एसएए/उपयुक्त सुविधा में रखने का आदेश जारी करती हैं।

उपर्युक्त आदेश का कानून के अनुसार अनुपालनार्थ, आपको कथित बालक को बालक को अपने प्रभार (उत्तरदायित्व) में लेने तथा उसे बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए में रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अनाथ या परित्यक्त बालक का मामला होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी इसका विवरण बाल खोज/ संबंधित बेब-पोर्टल पर अपलोड करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण समिति की मुहर के अधीन।

तारीख

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

अनुलग्नक:

आदेश की प्रति गृह का विवरण तथा पिछला अभिलेख, मामले का इतिहास और वैयक्तिक देखरेख योजना, जो भी लागू हो:

प्ररूप 19

[नियम 18(8), 19(7)]

जाँच के लंबन की स्थिति में,

बालक को माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने के लिए आदेश

.....20 का मामला सं०

..... के संबंध में
 तारीख को पाया गया है कि के लिए देखरेख आवश्यक है
 तथा (नाम) (पता) के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भरने पर
 पर्यवेक्षण में रखा जाता है और समिति संतुष्ट है कि बालक को उसके पर्यवेक्षण में रखने संबंधी आदेश जारी करना
 हितकर होगा।

बालक को सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण:.....

आदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक (नाम) को

..... (अवधि) के लिए (पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाए। इसके लिए निम्न शर्तें
 होंगी:

1. आवश्यक होने पर प्रतिज्ञा पत्र भरने वाला कथित व्यक्ति समिति को बालक के साथ-साथ आदेश और भरे गये प्रतिज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. बालक अवधि के लिए पर रहेगा।
3. बालक को समिति की अनुमति के बिना के जिला अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
4. बालक नियमित तौर विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर जाएगा। बालक नियमित तौर विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर (यदि पहले से बताया गया हो) विद्या/प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
5. बालक की देखभाल करने वाला व्यक्ति बालक की उचित देखभाल शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।
6. बालक को अवांछित तत्वों से मेल जोल बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे कानून के विरुद्ध कोई भी काम करने से रोका जाएगा।
7. बालक को किसी नशीले पदार्थ या मादक द्रव्यों के उपयोग से बचा के रखना होगा।
8. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का अनुसरण करना होगा।

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई भी शर्त, शामिल की जा सकती है।

प्ररूप 20

[नियम 18(8)]

माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा

घोषणा-पत्र

मैं, निवासी मकान नम्बर गली गाँव/नगर

..... जिला राज्य एतद् द्वारा

घोषणा करता हूँ कि बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार निम्न शर्तों के आधार पर

..... (बच्चे का नाम) (आयु) को मैं, अपनी देख-रेख में लेने का

इच्छुक हूँ:

1. यदि उसका आचरण असंतोषजनक होगा तो मैं तुरंत समिति को सूचित करूँगा।
2. जब तक वह मेरी देखरेख में रहेगा, मैं कथित बाल के कल्याण और शिक्षा की अपनी ओर से उत्तम व्यवस्था करूँगा तथा उसके पालन पोषण के उपयुक्त प्रबंध करूँगा।
3. उसके रूग्ण होने की स्थिति में नजदीकी अस्पताल में उचित चिकित्सा करवाऊँगा।
4. समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूँगा तथा इनके अनुपालन के बारे में समिति को सूचित करना रहूँगा।
5. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यथावश्यक होने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करूँगा।
6. बालक के मेरे प्रभार या नियंत्रण से बाहर हो जाने की स्थिति में, समिति को तुरंत सूचित करूँगा।

तारीख

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति के समक्ष हस्ताक्षरित

प्ररूप 21

नियम 19(3)

देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक जाँच के आदेश

सेवा में,

बाल कल्याण समिति / सामाजिक कार्यकर्ता / मामले से संबंधित कार्यकर्ता / गृह प्रभारी / गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31(2) के अन्तर्गत

.....(बालक का नाम), आयु(लगभग) सुपुत्र / सुपुत्री
निवासी से संबंधित एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त हुई है।

आपको निदेश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त बालक के संबंध में प्रपत्र 22 के अनुसार सामाजिक जाँच की जाए। आपको यह भी निदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक की सामाजिक-आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जाँच-पड़ताल की जाए।

आपको निदेश दिए जाते हैं कि सामाजिक जाँच रिपोर्ट(तारीख) को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर दी जाए।

तारीख:

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष / सदस्य

बाल कल्याण समिति।

प्ररूप 22

नियम 19(8)

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक जाँच रिपोर्ट

क्र०सं०.....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत

मामला सं०.....

बाल कल्याण अधिकारी / समाज सेवक / मामला कार्यकर्ता / गृह के प्रभारी व्यक्ति / गैर सरकारी के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक का विवरण:

1. नाम
2. आयु / तारीख / जन्म का वर्ष
3. लिंग.....
4. जाति
5. धर्म
6. पिता का नाम
7. माता का नाम
8. अभिभावक का नाम
9. स्थाई पता
10. पते का लैंडमार्क
11. पिछले निवास का पता
12. पिता / माता / परिवार के सदस्य का सम्पर्क नं०-.....
13. यदि बालक विकलांग हो: हाँ / नहीं
 - I. श्रवण अक्षमता
 - II. वाक अक्षमता
 - III. शारीरिक निःशक्तता
 - IV. मानसिक रूप से अक्षम
 - V. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

14. परिवार के ब्यौरे:

क्र०सं०	नाम तथा संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रूग्णता का पूर्ववृत्त	व्यसन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. परिवार के बीच संबंध

i पिता तथा माता	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
ii पिता तथा बालक	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
iii माता तथा बालक	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
iv पिता तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
v माता तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
vi बालक तथा सहोदर	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
vii बालक तथा नातेदार	सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात

16. बालक यदि विवाहित है तो पत्नी और बच्चों के नाम, आयु तथा ब्यौरे:

17. परिवार के सदस्यों द्वारा अपराधों में शामिल होने का पूर्ववृत्त, यदि कोई हो:-

क्र०सं०	नातेदारी	अपराध का स्वरूप	मामले को कानूनी स्थिति	की गई गिरफ्तारी यदि हुई है	परिरोध की अवधि	दिया गया दंड
1	पिता					
2	सौतेला पिता					
3	माता					
4	सौतेली माता					
5	भाई					
6	बहन					
7	अन्य (चाचा / चाची / दादा / दादी)					

18. धर्म के प्रति मनोवृत्ति

19. रहन-सहन की वर्तमान परिस्थितियाँ

20. अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण, यदि कोई है

21. बालक की आदतें

(क)

i. धूम्रपान

ii. मद्यपान

iii. नशीली दवाओं का सेवन करना (विनिर्दिष्ट करें)

iv. जुआ खेलना

v. भिक्षा माँगना

vi. कोई अन्य

(ख)

i. दूरदर्शन / सिनेमा देखना

ii. इंडोर / आउटडोर खेल खेलना

iii. पुस्तकें पढ़ना

iv. धार्मिक गतिविधियाँ

v. आरेखण / रंगसाजी / अभिनव / गायन

vi. कोई अन्य

22. पाठ्येत्तर रूचियाँ

23. उत्कृष्ट विशेषताएँ तथा व्यक्तिगत-विशेषताएँ

24. बालक का शैक्षणिक ब्यौरा (जो भी प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)

I. अशिक्षित

II. पाँचवी कक्षा तक अध्ययन

III. पाँचवी कक्षा से अधिक परन्तु आठवी से कम अध्ययन

IV. आठवी कक्षा से अधिक परन्तु दसवी से कम अध्ययन

V. दसवी कक्षा से अधिक अध्ययन

25. बालक की शिक्षा के ब्यौरे जिसमें वह विगत में पढ़ा था (जो भी प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)
- क. निगम/नगर निगम/पंचायत
 ख. सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
 ग. निजी प्रबंधन
 घ. एन0सी0एल0पी0 के अन्तर्गत विद्यालय
26. बालक के प्रति कक्षा के साथियों का व्यवहार
27. बालक के प्रति शिक्षक तथा साथियों का व्यवहार
28. विद्यालय छोड़ने के कारण (जो भी प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)
- क. अंतिम बार अध्ययनरत कक्षा में अनुत्तीर्ण होना
 ख. विद्यालय के कार्यकलापों में रुचि की कमी
 ग. शिक्षकों का उदासीन रुझान
 घ. संगी साथियों का प्रभाव
 ङ. परिवार के लिए अर्जन तथा समर्थन
 च. माता-पिता की अचानक मृत्यु
 छ. स्कूल में भयाभिभूत
 ज. विद्यालय का सख्त माहौल
 झ. विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थित
 ञ. समीप के स्कूल का स्तर उपयुक्त नहीं है
 ट. स्कूल में दुर्व्यवहार
 ठ. विद्यालय में अवमानना
 ड. शारीरिक दंड
 ढ. शिक्षा का माध्यम
 ण. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
29. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो
30. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हो
31. अन्य के उपयोग के ब्यौरे
32. कार्य का अभिलेख (व्यावसायिक रुचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी अथवा नियोक्ताओं के प्रति व्यवहार).....
33. अधिकांश मित्र है (जो प्रयोज्य हो उसे ✓ करें)
- (क) शिक्षित
 (ख) अशिक्षित
 (ग) एक ही आयु वर्ग
 (घ) आयु में बड़े
 (ङ) आयु में छोटे
 (च) एक ही लिंग के
 (छ) दूसरे लिंग के
 (ज) व्यसन वाले
 (झ) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले
34. मित्रों के प्रति बालक का व्यवहार
35. बालक के प्रति मित्रों का व्यवहार
36. आस-पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस को प्रभाव का मूल्यांकन करना)
37. बालक की मानसिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में)
38. बालक की शारीरिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में)
39. बालक की स्वास्थ्य स्थिति
- I. श्वसन संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 II. बहरापन संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 III. नेत्र रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 IV. दंत रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 V. हृदय रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 VI. चर्म रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 VII. यौन संक्रमित रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 VIII. तन्त्रिका संबंधी रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

- IX. मानसिक विकलांगता संबंधी दोष— पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 X. शारीरिक विकलांगता संबंधी दोष— पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 XI. मूत्रीय क्षेत्र संक्रमण संबंध दोष— पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया
 XII. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
40. क्या बालक को कोई व्यसन है? हाँ/नहीं।
 41. बाल समिति के समक्ष लाने से पूर्व किसके साथ रह रहा था?
 I. माता पिता—माता/पिता/दोनों
 II. सहोदर—
 III. संरक्षक—संबंध
 IV. मित्र
 V. बेसहारा
 VI. रात्रिकालीन आश्रय गृह
 VII. अनाथालय/होस्टल/ऐसे अन्य गृह
 VIII. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
42. घर से भागने के लिए बालक का पूर्ववृत्त/प्रवृत्ति, यदि कोई हो
 43. घर में अनुशासन के प्रति माता—पिता का रुख तथा बालक की प्रतिक्रिया
 44. परिवार छोड़ने के कारण (जो प्रयोज्य है उसे ✓ करें)
 I. माता—पिता (ओं)/संरक्षक(कों)/सौतेले माता—पिता(ओं) द्वारा दुर्व्यवहार
 II. रोजगार की तलाश में
 III. संगी साथियों का प्रभाव
 IV. माता—पिता की असमर्थता
 V. माता—पिता का आपराधिक व्यवहार
 VI. माता—पिता से पृथक
 VII. माता—पिता की अचानक मृत्यु
 VIII. निर्धनता
 IX. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
45. क्या बालक किसी अपराध का शिकार है हाँ/नहीं
 46. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार (जो प्रयोज्य उसे ✓ करें)
 i. मौखिक दुर्व्यवहार—माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 ii. शारीरिक दुर्व्यवहार
 iii. यौन दुर्व्यवहार—माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 iv. अन्य—माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
47. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार (जो प्रयोज्य है उसे ✓ करें)
 i. भोजन न देना— माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 ii. निर्दयता से पिटाई करना— माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 iii. क्षति कारित— माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 iv. निरुद्ध रखना— माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 v. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)— माता—पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
48. बालक का शोषण
 I. बिना वेतन दिए काम कराना
 II. न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक काम कराना
 III. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
49. क्या बालक को लाया गया था अथवा बेचा गया था अथवा उपाप्त किया गया था अथवा किसी दुर्व्यापार हेतु सौदा (अवैध व्यापार) किया गया था? हाँ/नहीं
 50. क्या बालक को भिक्षा माँगने के काम में लगाया गया है? हाँ/नहीं
 51. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गिरोह अथवा वयस्कों अथवा वयस्कों के समूह द्वारा अथवा मादक पदार्थ के वितरण के लिये किया जाता है? हाँ/नहीं
 52. पिछला संस्थागत/मामला पूर्ववृत्त और वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो

53. अपराधकर्ता के ब्यौरे (जैसे कि नाम, आयु, सम्पर्क नम्बर, पते के ब्यौरे, शारीरिक विशेषताएँ, परिवार, शामिल मध्यस्थ व्यक्ति के साथ संबंध, क्या उसी गांव से अन्य कोई बालकर्ता के द्वारा भेजा गया है जिससे दुर्व्यवहार किया जाता हो/उत्पीडित किया जाता हो, बालक अपराधकर्ता के सम्पर्क में किस प्रकार आया)
54. अपराधकर्ता के प्रति बालक का रवैया
55. क्या पुलिस को सूचित किया गया है
56. अपराधकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो
57. अन्य कोई टिप्पणी

जाँच के प्रेक्षण

1. भावनात्मक कारण
2. शारीरिक स्थिति
3. समझ
4. सामाजिक तथा आर्थिक कारण
5. समस्याओं के लिए सुझाए गए कारण
6. मामले का विश्लेषण जिसमें अपराध के कारण/सहयोगी कारण शामिल हैं
7. देखरेख तथा संरक्षण के लिए बालक की जरूरतों के कारण
8. विशेषज्ञ जिनसे परामर्श किया गया, उसकी राय
9. मन:सामाजिक विशेषज्ञ का मूल्यांकन
10. धार्मिक कारण
11. बालक को परिवार को वापिस दिए जाने के लिए, बालक का जोखिम विश्लेषण
12. पिछले संस्थागत/मामले का पूर्ववृत्त और वैयष्टिक देखरेख योजना, यदि कोई हो
13. बालक की मनोवैज्ञानिक सहायता पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/ मामला वर्कर/सामाजिक वर्कर की सिफारिश तथा सुझाई गई योजना

(हस्ताक्षर)

(नियुक्त किए गए व्यक्ति के)

प्ररूप 23

[नियम 19(22)]

बालक को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन

तारीख

सेवा में,

बाल कल्याण समिति,
जिला

मैं/हम(आवेदक/कों का नाम).....(बालक के साथ संबंध)..... वर्ष की आयु के है का अभिप्राय बाल कल्याण समिति के समक्ष(बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने का है, क्योंकि(अभ्यर्पण के कारण)

मुझे/हमें पूरा संज्ञान है और बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं। (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने के निर्णय के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है अथवा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया है। यदि बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए दे दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बालक को अभ्यर्पित करने के परिणामों से मैं पूरी तरह अवगत हूँ।

(आवेदक(कों) के पूरे हस्ताक्षर)

अंगूठे का निशान (यदि बाल कल्याण समिति उचित समझती हो)

नाम तथा पता

.....

(अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर)

जिसके समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है
समिति का उपस्थित सदस्य:-.....

तारीख

समय

स्थान

प्ररूप 24

[नियम 19(22)]

बालक अथवा बालकों को अभ्यर्पित करने के लिए व्यक्ति की घोषणा

मामला संख्या

मैं/हम (पारिवारिक नाम/पहला नाम) निवासी कारणों से,

..... वर्ष के बालक (नाम) जिसकी जन्म की तारीख है, को अभ्यर्पित करते हैं।

(ii) मैं/हम अपने बालक अथवा बच्चों को अपनी ओर से बगैर किसी जबरदस्ती, दबाव, धमकी, भुगतान, विचार, किसी प्रकार के मुआवजे के अभ्यर्पित कर रहा हूँ/रहे हैं।

(iii) मुझे/हमें विवक्षा के बारे में परामर्श दिया गया है और यह जानकारी दी गई है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60वें दिन तक अपनी सहमति वापिस ले सकता हूँ/सकते हैं, जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अपरिवर्तनीय होगी और मेरा/हमारा बालक/बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।

(iv) मुझे/हमें अभ्यर्ण की विवक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस तथ्य की जानकारी है कि अभ्यर्ण विलेख की तारीख से 60वें दिन के बाद, मेरे/हमारे बालक अथवा बच्चों के बीच मेरे/हमारे कानूनी माता-पिता बालक के संबंध में समाप्त कर दिए जाएंगे

(v) मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक के दत्तकग्रहण भारत में अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया जाए और इस प्रयोजन हेतु उन्हें मेरी/हमारी सहमति दी जाए।

(vi) मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक के दत्तकग्रहण से दत्तकग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता संबंध स्थापित होंगे और बालक को वापिस लेने के दावा नहीं किया जा सकता।

(vii) मैं/हम चाहता हूँ/चाहते हैं/नहीं चाहते हैं (कृपया जो प्रयोज्य हो, उस पर ✓ का निशान लगाएँ) अपनी पहचान नहीं चाहता हूँ/चाहते हैं और जब हमारा बालक मूल खोज के लिए लौटता है तो उसे मेरी/हमारा पता न बताया जाए।

(viii) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह समझ गए हैं।

..... को में किया गया।

(अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

2. साक्षी द्वारा घोषणा

हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अभ्यर्पण के लिए गवाही दी है।

(क) : पहले साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता

.....
.....

(ख) : दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता

.....
.....

3. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

यह एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति तथा साक्षी (नाम) अथवा पहचान किए इस तारीख को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और इस दस्तावेज को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया।

बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा सील

प्रपत्र-25

नियम 19 (29)

दत्तक ग्रहण के लिए

बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र

1. किशोर न्याय (बालकों) की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 38 के अधीन..... बाल कल्याण समिति में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस समिति के आदेश संख्या..... तारीख..... द्वारा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखरेख संस्था (नाम तथा पता) की देखरेख में रखा गया बाल..... जन्म तिथि को निम्नलिखित के आधार पर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के योग्य घोषित किया जाता है

- यथा स्थिति परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्मिक/मामला कार्मिक/अन्य
- इस समिति के समक्ष (तारीख) के जैविक माता-पिता (ओं) अथवा कानूनी संरक्षक द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण का विलेख
- इस आशय से संबंधित जिला बाल कल्याण संरक्षण यूनिट और बाल देखरेख संस्था अथवा विशिष्टता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40 (1) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित पुनःस्थापन के प्रयास किए हैं, नियम तथा दत्तक ग्रहण विनियम लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक जैविक माता-पिता अथवा कानूनी संरक्षक के रूप में किसी ने उनसे बालका दावा करने के लिए संपर्क नहीं किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक, जहाँ उपलब्ध हो, को उनकी सहमति के प्रभाव से अवगत कराते हुए परामर्श दिया गया है जिसमें बालक का स्थापन अथवा दत्तक ग्रहण भी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच कानूनी संबंध समाप्त हो जाएगा।

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक ने अपनी-अपनी सहमति, अपेक्षित विधिक प्रपत्र में मुक्त रूप से दी है और ये सहमतियां किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा मुआवजे से प्रेरित नहीं है और माता की सहमति (जहां लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी गई है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण/बाल देखरेख संस्था, जिसे उक्त बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, केयरिंग्स में बच्चों को दत्तक ग्रहण में रखेगी।

हस्ताक्षर**समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य**

(बाल कल्याण समिति की मुहर)

तारीख:

स्थान:

सेवा में : संबंधित बाल देखरेख संस्था/विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी/जिला बाल संरक्षण इकाई-सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रपत्र-26

[नियम 20 (1)]

समिति द्वारा मामले की मॉनीटरी के लिए प्रमाण पत्र
मामले की मॉनीटरी के लिए प्रमाण पत्र
(एक से अधिक बालक होने पर अलग कागज का प्रयोग किया जाए)
बाल कल्याण समिति, जिला.....

मामला सं०....., के संबंध में।

मामले का नाम:

पुलिस थाना..... धाराएं:.....	तिथि..... प्र.सू.रि./जीडी/डीडी सं.....
परिवीक्षा अधिकारी का नाम	जाँच अधिकारी का नाम.....

बालक की विशिष्टियाँ			
नाम	माता-पिता/संरक्षक, संपर्क फोन नं० सहित	वर्तमान पता	स्थायी पता

समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय प्रथम बार प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दं.प्र.स. की धारा 54 के अधीन चिकित्सा जाँच की तिथि (यदि कोई हो)
आयु निर्धारण अपराध की तिथि को आयु निर्धारण की तिथि:- आयु निर्धारण में लिया गया समय:- निर्धारणकर्ता समिति समिति वह साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया है : दस्तावेज चिकित्सा

बालक का स्थापन	
बाल गृहों में से तक.	के पर्यवेक्षण में भेजा गया (संस्थान का नाम)

जाँच प्रगति
(मामले के निपटान के लिए प्रथम पेशी के दिन की समय अनुसूची)

कार्रवाई	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि
आयु निर्धारण	तारीख	
सामाजिक जांच रिपोर्ट (प्रपत्र सं.22)	तारीख	
आगामी जांच के उपबंधों पर रिपोर्ट, यदि कोई हो	तारीख	
बालक का वचन	तारीख	
पृथक देखरेख योजना (सांस्थानिक देखरेख अधीन बच्चे के मामले में, प्रवेश एक माह के भीतर, पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए।)	तारीख	
निपटान (अंतिम) आदेश	तारीख	
निपटान आदेश के पश्चात समीक्षा	तारीख	

हस्ताक्षरकर्ता
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र-27

[नियम 21 (2) और 22 (2)]

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत
बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. बाल देखरेख संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण :
 - i. संस्था का प्रकार.....
 - ii. संस्था/संगठन का नाम
 - iii. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें-पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप-नियम, संस्था का ज्ञापन).....
 - iv. संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि.....
 - v. आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता.....
 - vi. एसटीडी कोड/दूरभाष संख्या.....
 - vii. एसटीडी कोड/फैक्स संख्या.....
 - viii. ई-मेल पता.....
 - ix. क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें.....
 - x. क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है? जी हाँ/नहीं
 - xi. बा.सं.सं. के तौर पर रद्द किये जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या
- (क) मनाही की तारीख.....
- (ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है.....
- xii. बा.सं.सं. के रूप में पंजीकरण न करने का कारण
2. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्थान का विवरण
- i. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम.....
- ii. बाल देखरेख संस्था की किस्म/प्रकार
- iii. बाल देखरेख संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान स्थिति सहित
- iv. एसटीडी कोड/टेलीफोन सं०.....
- v. एसटीडी कोड/फैक्स सं०.....
- vi. ई-मेल पता.....
3. पहुँचने का रास्ता (प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम और दूरी) :
 - i. मुख्य मार्ग
 - ii. बस स्टैंड
 - iii. रेलवे स्टेशन.....
 - iv. कोई अन्य पहचान.....
4. संरचना :
 - i. कमरों की संख्या (पैमाइश सहित).....
 - ii. शौचालयों की संख्या (पैमाइश सहित).....
 - iii. पाकशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित).....
 - iv. चिकित्सा कक्षों की संख्या
 - v. भवन के नक्शों की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित रूपरेखीय योजना).....
 - vi. अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं?
 - I. आग
 - II. भूकंप
 - III. कोई अन्य व्यवस्था
 - IV. पेय जल का प्रबंध
 - V. सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था
 - VI. कृमि/कीटाणु नाश/नियंत्रण
 - VII. कचरे का निपटान
 - VIII. भंडारण क्षेत्र
 - IX. कोई अन्य व्यवस्था
 - X. किराया करार/भवन अनुरक्षण आकलन (जो भी लागू हों) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)
5. संस्थान/संगठन की क्षमता

- I. बालकों की संख्या (0-6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- II. बालकों की संख्या (6-10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- III. बालकों की संख्या (11-15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- IV. बालकों की संख्या (16-18 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
- V. बालकों की संख्या (18-21 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
6. क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है
हाँ/नहीं
7. उपलब्ध सुविधाएँ
 - I. शिक्षा सुविधा.....
 - II. प्रस्तावित स्वास्थ्य जाँच प्रबंध, जाँच की आवृत्ति एवं जाँच के प्रकार.....
 - III. कोई अन्य सुविधा जो बालक के संपूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगी।
8. स्टाफ व्यवस्था
 - I. स्टाफ सूची का ब्यौरा
 - II. स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
 - III. संगठन के साझेदार
 - IV. संगठन के प्रभारी का नाम
9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)
 - I. पिछले 2 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियाँ/क्रियाकलाप
- (क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
 - II. संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएँ)
 - III. परिसंपत्तियों की सूची/संगठन की अवसंरचना
 - IV. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न)
 - V. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
 - VI. अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हों) स्कीम/परियोजना/उद्देश्य-राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
 - VII. अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
 - VIII. क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है?
 - IX. पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संलग्न करें। :

I. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

II. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

III. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

IV. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैंने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2017 का अध्ययन कर लिया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दंडित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यावहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केंद्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

..... (संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत, बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है।

मैं इस संबंध में शपथ लेता हूँ कि मैं केंद्र/राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम:

पदनाम:

पता:

जिला:

तिथि:

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

साक्षी नंबर.1:

साक्षी नंबर.2:

प्रपत्र-28

[नियम 21 (3) और 22 (4)]

पंजीकरण प्रमाण पत्र

(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)

प्ररूप सं० 27 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के अंतर्गत, तारीख से, बाल देखरेख संस्थान के तौर पर वर्ष की अवधि तक लिए वैध पंजीकरण सं..... प्रदान किया जाता है।

..... बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। संस्थान को पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

दिनांक—.....

(हस्ताक्षर)

मुहर

नाम व पदनाम

प्रपत्र-29

[नियम 22 (9)]

जि.बा.सं.ई. को मुक्त आश्रय द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट

1. मुक्त आश्रय का नाम:
2. प्रभारी का नाम :
3. पंजीकरण की संख्या:
4. मुक्त आश्रय का पता:
5. रिपोर्ट की अवधि :
6. को उपलब्ध बच्चों का ब्यौरा

क्र० सं०	बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	बालक/बालिका का पता, यदि उपलब्ध हो	भर्ती की तारीख	दाखिले के कारण	रहने की अवधि	उपलब्ध सुविधाएं	बा.क.स. के समक्ष पेशी	टिप्पण, यदि कोई हो

7. माह के दौरान भर्ती हुए बच्चों की कुल संख्या :
8. माह के अंतिम दिन मुक्त आश्रय में बालकों की कुल संख्या :
9. उन बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान मुक्त आश्रय की सुविधाओं का उपयोग किया :
10. उन बालकों में से ऐसे बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान सेवाओं का उपयोग किया :

हस्ताक्षर

मुक्त आश्रय का प्रभारी

प्रपत्र-30

[नियम 23 (9)]

संभावित पालक माता-पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

पंजीकरण की तारीख :

आधार कार्ड संख्या :

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम:

घर के दौरे की तारीख :

संभावित माता-पिता द्वारा प्रारूप का भाग- I भरा जाएगा और भाग-II का शेष हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभावित गोद लेने वाले/पालक माता-पिता की उपर्युक्तता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा।

भाग- I स्व मूल्यांकन

क. संभावित पालक माता-पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना

पालक माता-पिता का विवरण	
पूरा नाम	
जन्म तिथि और आयु	
जन्म स्थान	
ई-मेल आई डी सहित पूरा पता (वर्तमान एवं स्थायी पता)	
पहचान साक्ष्य	
धर्म	
भाषाएँ	
विवाह की तारीख	
वर्तमान शैक्षणिक योग्यता	
रोजगार/व्यवसाय	
वर्तमान नियोक्ता/कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य की स्थिति	

ख. पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना

(1) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ संभावित पालक माता-पिता की सामाजिक हैसियत और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दें :

आवेदकों के माता-पिता के बारे में ब्यौरा		
पूरा नाम	पिता	माता
आयु		
राष्ट्रीयता/नागरीकता		
व्यवसाय		
पूर्ण व्यवसाय		
वर्तमान निवास		

(2) कृपया अपने संबंधित प्रत्येक/सभी बच्चों (गोद लिए/जैविक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षणिक स्थिति (के.जी. प्रारंभिक, इत्यादि) और जन्म तिथि का ब्यौरा देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें :

बच्चे का नाम	लिंग	जन्म-तिथि	शैक्षणिक स्थिति

(3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हों तो कृपया उनके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

नाम	संबंध का स्वरूप	आयु	लिंग	व्यवसाय

(4) कृपया यह वर्णन करें कि आपका पालक देखभाल संबंधी व्यवहार परिवार के सदस्यों (दादा-दादी, बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर) को किस प्रकार से प्रभावित करेगा.

ग. व्यवसाय/रोजगार का ब्यौरा (पिछले 05 वर्ष की व्यावसायिक जीविका) :

पालक पिता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्य पद/स्थिति	से तक

पालक माता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्य पद/स्थिति	से तक

घ. वित्तीय स्थिति : (अपनी सभी स्रोतों से आय जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि का प्रलेखों सहित संक्षेप में

विवरण दें) :

ङ. घर और आस पड़ोस का विवरण (घर में जगह की स्थिति का ब्यौरा और पड़ोसियों से संबंध)

(1) आपके घर में कितने कमरे हैं और बच्चे के खेलने की जगह की उपलब्धता बताएँ.....

(2) कृपया उस पड़ोस का उल्लेख करें जहाँ आप रहते हैं और उस पहलु को भी शामिल करें जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हों.

च. पालक माता पिता का देखभाल के लिए व्यवहार और प्रयोजन:

(1) कृपया उन शब्दों पर घेरा लगाएँ जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि जिस वजह से पालन-पोषण देखभाल करना चाहते हैं: यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं.:

क) अपने बच्चों के लिए साथी उपलब्ध कराना ;

ख) बच्चे को खुशहाल घर देना ;

ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें

(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएँ जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि फोस्टर देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा. यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं. :

क) वे अकेलापन कम महसूस करेंगे :

ख) वे अधिक उदार बन सकेंगे

ग) वे अधिक सुस्पष्ट बनेंगे :

घ) लागू नहीं, क्योंकि मेरा कोई अन्य शिशु नहीं है :

ङ) अन्य, कृपया स्पष्ट करें :

च) पालन-पोषण देखभाल के प्रति दादा-दादी/परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण महानुभावों का व्यवहार (पालन-पोषण) के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बच्चे के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो :

छ) बच्चे के लिए संभावित पालक माता-पिता की भावी योजना और परिवार में पालन-पोषण :

1. कृपया उल्लेख करें कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम-काज आदि की कैसे व्यवस्था करेंगे.

2. जब आप कार्य पर हों या परिवार के काम से घर बाहर हों तो बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा. (घरेलू सहायक, दादा-दादी, पति/पत्नी)

3. कृपया पिता के रूप में स्व अनुशासन दृष्टिकोण का वर्णन करें.

4. अगर पालन-पोषण बच्चे को परिवार में तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें

5. अगर बच्चे को तालमेल बैठाने में दिक्कत बनी रहती है तो क्या आप परिवार के साथ विचार विनिमय करने के लिए तैयार होंगे

क) हाँ

ख) नहीं

6. क्या आप पोषित बालक के उच्चतर व्यावसायिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता हेतु तत्पर हैं?
- क) हाँ ख) नहीं
- ज) तैयारी और प्रशिक्षण (विचार-विनिमय के उन सत्रों का ब्यौरा दें जो फोस्टर देखभाल, बाल देखभाल, बच्चे की जरूरतों का इंतजाम करने आदी और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग और/अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, सहित पर संभावित पालक माता-पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया हो
- झ) स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक/भावात्मक और शारीरिक) कृपया आवेदक/कों, यदि कोई हो, की मानसिक और शारीरिक स्थिति का विवरण दें अगर परिवार के सदस्य किसी विशेष बीमारी, परिस्थिति या सिंड्रोम से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह कैसे प्रस्तावित फोस्टर देखभाल को प्रभावित कर सकता है।
1. क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें.
 2. क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी का इस समय मनोवैज्ञानी/मनोचिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे हैं?
 3. क्या आप इस समय विदित दवाई ले रहे हैं.
 4. क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का इलाज चल रहा है.
 5. क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों की सेहत और अस्पताल में रहने का बीमा है।

संभावित पालक माता-पिता के हस्ताक्षर
तारीख

भाग- II

सामाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाए)

(अभिकरणों/प्राधिकारियों द्वारा टेम्पलेट में दी गई सूचना/तथ्यों को गोपनीय रखा जाए)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन
 1. क्या आपने भाग-1 के टेम्पलेट में वर्णित तथ्यों/विषयवस्तु की जँच कर ली हैं?
 - a- हाँ/नहीं
 2. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरे व साक्षात्कार के समय टिप्पणियों से संतुष्ट हैं?
 - b- हाँ/नहीं
2. मनः सामाजिक मूल्यांकन :
 - I. संभावित पालक माता-पिता से विचार-विमर्श
 - II. क्या आपने संभावित पालक माता-पिता से अलग-अलग और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया है?
 - III. क्या संभावित पालक माता-पिता बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए भली भांति तैयार है?
- 2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष
 - I. संभावित पालक माता-पिता के घर का आपने कब दौरा किया था? और आपके दौरे के समय कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे?
 - II. घर के दौरे के दौरान आपने किस-किस से विचार-विमर्श किया था?
 - III. क्या आपने किसी पड़ोसी/रिश्तेदार से मुलाकात की, विचार-विमर्श के बारे में विस्तृत विवरण दें.
 - IV. क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है?
 - V. क्या संभावित पालक माता-पिता पालन-पोषण करने के लिए भली-भांति तैयार हैं?
 - VI. क्या संभावित पालक माता-पिता को बच्चे को गोद लेने या किसी अन्य मुद्दे के बारे में कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है?
- 2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार-विमर्श
 - I. क्या आपने संभावित पालक माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श किया है? उनकी प्रस्तावित पालक देखभाल के बारे में क्या राय है? क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?
 - II. क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य है/हैं जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकता था। यदि ऐसा है तो आपकी कैसी बातचीत रही? उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगे

- III. क्या आपने घर में उपस्थित बड़े बच्चों के साथ पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता के बारे में बातचीत की है? यदि हाँ तो उसका विवरण दें।
- IV. क्या आपने परिवार के सदस्यों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ तो नहीं सुनी? यदि हाँ तो पालन-पोषण प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

- I. पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वे वित्तीय दृष्टि से एक अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम हैं?
- II. क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहास्पद हुई वित्तीय पायी? क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते हैं?

2.5 शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमता

- I. क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बालक की देखभाल करने में शारीरिक एवं भावनात्मक दृष्टि से सक्षम हैं?
- II. क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी बात की है जिससे संबंधित बालक पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो? यदि हाँ तो उसका विवरण दें।
- III. क्या पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बालक की देखभाल करने में भावनात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार हैं?

3. पालन-पोषण के लिए सिफारिश

3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की सिफारिश करते हैं। पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के लिए सिफारिश संबंधी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें।

3.2 यदि आप, देखभाल करने के लिए पालन-पोषण करने वाले भावी माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताएँ।

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और सरकारी मुहर

प्रपत्र-31

[नियम 23 (4)]
बाल अध्ययन रिपोर्ट

बाल अध्ययन रिपोर्ट		
क्र०संख्या	मद	प्रत्युत्तर
1	मूल्यांकन की तारीख	
2	निर्दिष्ट करने का स्रोत	
3	बालक का फोटोग्राफ जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा	
बालक का ब्योरा		
4	बालक का नाम	
5	जन्म तिथि	
6	जन्म का स्थान	
7	आयु	

8	राष्ट्रीयता	
9	धर्म	
10	शिक्षा	
11	मातृभाषा	
12	वर्तमान पता	
13	आधार कार्ड संख्या	
14	संपर्क ब्यौरा (क) लैंड लाइन (ख) मोबाइल	
15	स्थापन विवरण यदि बाल संस्था से है क) स्थापन की तारीख ख) बालक का नाम एवं स्थायी पता ग) परिवार छोड़ने का कारण	बालक का दत्तक ग्रहण नहीं किया गया है
16	स्थापन का कारण यदि बाल संस्थान से है	माता अथवा माता-पिता दोनों कारागार में हैं माता-पिता चिरकालिक बीमारी से पीड़ित हैं निष्क्रिय परिवार (अर्थात् मादक पदार्थों का दुरुपयोग, घरेलू हिंसा आदि) माता-पिता अलग होने की प्रक्रिया में है माता-पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रक्रिया में हैं प्राकृतिक आपदा अन्य

मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि बाल के बारे में इस प्ररूप में दी गई सूचना सही है।

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

प्रपत्र-32

[नियम 23 (15)]

परिवार में पालन-पोषण संबंधी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल का आदेश श्री तथा श्रीमती का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) जिसकी आयु लगभग हैं, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है। श्री तथा श्रीमती निवासी (पूरा पता एवं संपर्क नंबर) की वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।
अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) को वैयक्तिक देखरेख योजना और बाल अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

बालक (नाम)..... को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क नंबर) की देखरेख में अवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र-33

[नियम 23 (16)]

पालन-पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखभाल करने वाले संगठन द्वारा वचनबंध मैं/हम..... निवासी, मकान नं0..... गली..... /शहर..... जिला..... राज्य..... /..... संगठन द्वारा(पता) पर चलाए जा रहे पालन पोषण देखरेख गृह से संबद्ध देखरेख प्रदाता एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधधीन बाल कल्याण समिति.....के आदेशों के अनुसार (बालक का नाम) आयु..... की देखरेख का दायित्व संभालने का/की इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं:

- I. यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- II. जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तब तक मैं/हम उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- III. उसके रोग ग्रस्त होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जायेगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- IV. मैं/हम पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- V. मैं/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूँगा/करूँगी/करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो।
- VI. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।
- VII. मैं/हम, जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।
- VIII. मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

.....तारीख.....माह

दो गवाहों का हस्ताक्षर और पता

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रपत्र-34

[नियम 23 (17)]

पालन-पोषण देखरेख में बालक का अभिलेख

- क) मामला सं०.....
- ख) बालक का नाम.....
- ग) आयु.....
- घ) लिंग.....
- ड) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां से बालक का पालन पोषण देखरेख में दिया गया है
-
- च) वैयक्तिक देखरेख योजना
- छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्रोत.....
- ज) पालन पोषण देखरेख में स्थापन किए गए बालक का फोटो सहित ब्यौरा, पालन पोषण देखरेख प्रदाता/माता-पिता, जैविक माता-पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा
- झ) स्थापन का ब्यौरा-स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख
- ञ) जहाँ कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट
- ट) फोटो सहित पारिवारिक-व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट
- ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट
- ड) बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का विवरण
- ण) बालक, पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार, यदि उपलब्ध हों, के साथ किए गए प्रत्येक दौर का अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख विवरण)
- त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बाल विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य बालक की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापन की सभी समीक्षाओं का रिकार्ड
- थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का रिकॉर्ड
- द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख
- ध) प्रदान की गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो
- न) नियुक्त किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम

प्रारूप 35

[नियम 23(18)]

पालन पोषण करने वाले परिवारों/समूह पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण
(जो लागू हो उसे भरें)

निरीक्षण की तारीख :

- क) नाम :
- ख) जन्मतिथि एवं आयु :
- ग) लिंग
- घ) नियोजन की तारीख
1. पालन पोषण करने वाले माता-पिता का ब्यौरा
- क) पालन पोषण करने वाले माता-पिता का नाम
- ख) पता

ग) संपर्क ब्यौरा

i) लैंडलाइन :

ii) मोबाइल :

- घ) आधार कार्ड संख्या :
- ड) माता-पिता का फोटो

(नवीनमत फोटो
लगाएँ)(नवीनतम फोटो
लगाएँ)

3. पोषक बालक के साथ बातचीत

क)	परिवार का एक हिस्सा होते हुए, बालक का अनुभव (क्या बालक की शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई, के संदर्भ में) वर्णन करें। I. स्वास्थ्य संसूचक
----	--

	<p>क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति ख) अस्वस्थता का कोई अभिलेख ग) बालक का किया जा रहा कोई अन्य उपचार II. भावनात्मक</p>	<p>प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित</p>
<p>ख)</p>	<p>बालक अपने अध्ययन में कैसा निष्पादन कर रहा है? (i) बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जांच करें, (ii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त सहगामी क्रियाओं के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं (iii) क्या वे अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?</p>	<p>हाँ नहीं कभी-कभी नहीं हाँ नहीं कभी-कभी</p>
<p>ग)</p>	<p>i) माता-पिता (पालन-पोषण करने वाले) बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं? (iii) क्या पोषक बालक पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिनको वह या तो घर पर, स्कूल में, पड़ोस में सामना कर रहा है या भावनात्मक रूप से खुश नहीं है?</p>	<p>वार्तालाप करते समय भोजन करत समय खेलते समय टीवी देखते समय स्कूल जाते समय साथ-साथ गृह कार्य करते समय अन्य(उल्लेख करें) हाँ नहीं कभी-कभी</p>
<p>घ)</p>	<p>क्या बालक को पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के बच्चों से समर्थन मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं)</p>	<p>हाँ नहीं कभी-कभी</p>
<p>ङ)</p>	<p>क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बालक को उसके प्रति भेदभाव महसूस कराती है?</p>	

च)	<p>क्या कोई ऐसी घटना/घटनाएं हुई हैं जिसने तुम्हें असहज बना दिया हो?</p> <p>i) वह तरीका जिससे आपको पालन-पोषण करने वाले माता-पिता/बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने छुआ हो।</p> <p>ii) वार्तालाप जो पालन-पोषण करने वाले माता-पिता/बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने आपके साथ किया हो।</p> <p>iii) कोई सामग्री-दृश्य/मुद्रित, जिसे आपको देखने अथवा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो।</p> <p>iv) क्या आपके साथ किसी भी समय यौन प्रहार अथवा दुर्व्यवहार किया था?</p>	<p>हाँ नहीं</p> <p>हाँ नहीं</p> <p>हाँ नहीं</p>
	<p>* यदि उत्तर "हाँ" में है, बालक को हटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसे सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सा एवं मनो-सामाजिक उपचार दिया जाए।</p> <p>** पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वालों और अभिभावकों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाए।</p> <p>*** क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालक को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए और उचित कार्रवाई की जाए।</p>	<p>हाँ नहीं</p>
छ)	<p>क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलीफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा)। उल्लेख करें</p>	<p>हाँ नहीं</p>
ज)	<p>क्या आपको पालन-पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है?</p>	<p>हाँ नहीं</p>
झ)	<p>क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हैं?</p>	<p>हाँ नहीं</p>

ज)	क्या आपसे घरेलू काम कराया जाता है?	हाँ नहीं
ट)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों से भी वही घरेलू काम कराया जाता है?	हाँ नहीं

5. पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बातचीत

	परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मक हित) के बारे में माता-पिता के विचार	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसंमजन
ख)	घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके समंजन के बारे में धारणा	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसंमजन
ग)	आप बालक को अनुशासित कैसे बनाते हैं?	बालक को समझाकर डांटकर, दंड देकर बालक को पीटकर अन्य तरीके (उल्लेख करें)
घ)	व्यवहार की क्या विशेषताएँ हैं जो चिंता का विषय हैं और आप अभिभावक के रूप में उनसे कैसे निपटते हैं?	सहयोग का अभाव समंजन का अभाव अंतर्मुखी आक्रामक अभिव्यक्तिशील न होना कोई अन्य
ड)	क्या आप पोषक बालक और जैविक बच्चों के साथ बिताते हैं? विवरण दें।	हाँ नहीं कभी-कभी

च)	बालक की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार i) बालक स्कूल में अच्छा कर रहा है 2) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपने क) बालक से ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं कभी-कभी
छ)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता बालक की ओर से निर्णय लेते समय उससे परामर्श करते हैं?	हाँ नहीं कभी-कभी
ज)	बालक पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के निर्णयों के प्रति अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है?	प्रसन्नता से निर्णय स्वीकार करना निर्णय स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना निर्णय स्वीकार करने से मना करना और अक्रामक व्यवहार दिखाना
झ)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता बालक के सामाजिक नेटवर्क के बारे में जानते हैं?	हाँ नहीं
ञ)	पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ बालक के सामाजिक संबंध के बारे में विचार	अच्छी एवं नियमित बातचीत आवधिक बातचीत
ट)	बालक के लिए उनकी क्या योजना है? (लिखी जाए)	
ठ)	क्या पोषक बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है? (टेलीफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा)। उल्लेख करें।	हाँ नहीं कभी-कभी

ड)	पोषक बालक के बैंक खाते का अभिभावक के रूप में कौन देखभाल करता है?	
----	--	--

6. पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत :

क)	ऐसे कार्य जो वे पोषक बालक के साथ करते हैं	भोजन करना, खेलना टीवी देखना स्कूल जाना गृह कार्य साथ करना
ख)	क्या वे आपस में और पोषक बालक के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हां, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं। कृपया लिखें।	हाँ नहीं कभी-कभी
ग)	आप कैसा अनुभव करते हैं जब आपके माता-पिता पोषक बालक के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?	प्रसन्न अप्रसन्न गुस्सा ईर्ष्या

7. स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत:

क)	स्कूल में बालक के शैक्षणिक निष्पादन के बारे में सूचना (यह देखने के लिए कि बालक ने कोई प्रगति की है प्रगति कार्ड के साथ सत्यापित करें)	अच्छा उचित संतोषजनक खराब
ख)	शिक्षक की टिप्पणी : यदि बालक ने उसके पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ समंजन कर लिया है	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित

ग)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं?	हाँ नहीं कभी-कभी
घ)	क्या वे बालक की पढ़ाई में रुचि रखते हैं? (उसकी अकादमिक उपलब्धियों, शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछकर)	हाँ नहीं उदासीन
ड)	स्कूल में बालक के व्यवहार के बारे में टिप्पणी (शिक्षकों, सहपाठियों के साथ उसके संबंध)	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित
च)	स्कूल में बालक के कोई चिंता। यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।	

8. जन्मदाता माता-पिता के साथ बातचीत :

क)	क्या जन्मदाता माता-पिता ने अपने बालक के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरों के द्वारा)? कितने अंतराल पर?	हाँ नहीं कभी-कभी
----	--	------------------------------

ख)	क्या बालक उनसे मिलकर प्रसन्न था?	हाँ नहीं उनसे मुलाकात के समय अशांत
ग)	क्या बालक ने उनके समक्ष पोषण उसके देखरेख कर्त्ताओं/अभिभावकों/परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?	हाँ नहीं
घ)	क्या उनकी बालक के हितों के बारे में पालन-पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई बातचीत हुई है?	हाँ नहीं कभी-कभी
ङ)	बालक को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति	परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है। परिवार अनिच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।
च)	पालन-पोषण देखरेखकर्त्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हाँ, तो ब्यौरा दें)	हाँ नहीं

8 पड़ोसियों के साथ बातचीत :

क)	पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन-पोषण करने के बारे में जानकारी	हाँ नहीं
ख)	पालन-पोषण करने वाले परिवार का बालक के प्रति मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बारे में सूचना	सकारात्मक एवं प्रसन्न उदासीन मनोवृत्ति नकारात्मक मनोवृत्ति पोषक बालक के प्रति दुर्व्यवहार
ग)	परिवार के सदस्यों और पोषक बालक अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हाँ, तो ब्यौरा दें)	हाँ नहीं

प्ररूप 36

[नियम 24 (5)]

प्रायोजक के स्थापना का आदेश

श्री तथा/अथवा श्रीमती का/की पुत्र अथवा पुत्री
..... को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत वाले बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। जिला बालक संरक्षण इकाई को एतद्वारा उक्त बालक को (दिवसों/मास) की अवधि के लिए एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में रुपये प्रति मास/..... रुपये निर्मुक्त करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक के नाम पर एक बैंक खाता खोलने जिसका संचालन किया जाएगा, का निदेश दिया जाता है।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 37

[नियम 25 (2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सपुर्दगी आदेश

..... (बालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री
दिनांक को वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। पुनर्वास और पुनर्समेकन तथा विशेष रूप से (उद्देश्य/प्रयोजन) हेतु उत्तरवर्ती देखभाल के लिए उसे
..... (संगठन का नाम) के सपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिये जाते हैं कि यह बालक/बालिका की देख भाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्समेकन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे। बालक/बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या समाज में पुनः समेकन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। संगठन प्रभारी, बाल/किशोर/किशोरी की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा। राज्य/जिला बाल देखरेख इकाई को निदेश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की, (दिन/माह) तक देख भाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि : राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग

प्ररूप 38

[नियम 27 (2)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित सही सुविधा हेतु आवेदन

1.	संस्था/अभिकरण/संगठन का ब्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है	
1. क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1. ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1. ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1. घ	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
1. ङ	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1. च	ई-मेल का पता	
1. छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हाँ तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1. ज	क्या संगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हाँ I. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी II. अस्वीकरण की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने का कारण	
2.	प्रस्तावित सही सुविधा का ब्यौरा :	
2. क	प्रस्तावित सही सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2. ख	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
2. ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2. घ	ई-मेल	
3.	संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा में दूरी) :	
3. क	मुख्य सड़क	
3. ख	बस-स्टैण्ड	
3. ग	रेलवे स्टेशन	
3. घ	कोई अन्य निशान	
4.	अवसंरचना :	

4. क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4. ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4. ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4. घ	रोगी कक्षों की संख्या	
4. ङ	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणित नक्शा)	
4. च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : i. आग ii. भूकंप iii. कोई अन्य व्यवस्था	
4. छ	पेयजलय की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
4. ज	साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : i. कीट नियंत्रण ii. कचरा निस्तारण iii. भण्डारण क्षेत्र iv. कोई अन्य व्यवस्था	
4. झ	किराया/करारनामा/भवन अनुसूक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	सही सुविधा की क्षमता	
6.	उपलब्ध सुविधाएँ (उस प्रयोजन पर निर्भर करेगी जिसके लिए सही सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)	
6. ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	कर्मचारी	
7. क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7. ख	भागीदार संगठन का नाम	
8.	आवेदक की पृष्ठभूमि	
8. क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8. ख	संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8. ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची :	
8. घ	यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8. ङ	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का ब्यौरा (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)	
8. च	स्कीम/परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (अलग-अलग) के साथ निधियन कर रहे सहायतानुदान के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो)	
8. छ	शाखा कोड, खाता संख्या दर्शाते हुए अभिकरण के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा	
8. ज	क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8. झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : i. लेखा परीक्षारिपोर्ट ii. आय एवं व्यय खाता iii. प्राप्ति एवं भुगतान खाता iv. संगठन का तुलन पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

..... (संगठन/संस्था का नाम) में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत सही सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध

में संलिप्त रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

में केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

में समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

तारीख :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1 :

गवाह नं. 2 :

प्ररूप 39

[नियम 27 (4)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद और को संस्था के निरीक्षण के आधार पर (संस्था का नाम) को से वर्ष के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त सुविधा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 और उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित किए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

उक्त सुविधा किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

तारीख

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

तारीख

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 40

[नियम 61 (3)(xii)]

बोर्ड अथवा समिति को बाल देखरेख संस्था द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले बालकों की सूची बाल देखरेख संस्था का ब्यौरा :

क्र.सं.	बालक का नाम	प्राथमिकी/डीडी/मामला संख्या	पुलिस थाना	अगली पेशगी की तारीख

सप्ताह के दौरान भर्ती किए गए बालकों की कुल संख्या

सप्ताह के दौरान छोड़े गए बालकों की कुल संख्या

..... को संस्था में बालकों की कुल संख्या

हस्ताक्षर

बाल देखरेख संस्था का प्रभारी व्यक्ति

तारीख

प्ररूप 41

[नियम 69(ग) (1)]
संरक्षण अभिरक्षा कार्ड

1. बालक का नाम :
2. बालक की आयु :
3. माता का नाम :
4. पिता का नाम :
5. माता-पिता/अभिभावक का पता
6. संगठन/संस्था द्वारा प्राप्ति की तारीख :
7. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क ब्यौरा :
8. जाँच की तारीख :

आपको प्राधिकृत किया और निदेश दिया जाता है कि अपनी बाल देखभाल संस्था में उक्त नाम के बालक को प्राप्त करें और जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत संरक्षण अभिरक्षा के लिए उसे अपनी निगरानी में रखें।

और बालक तारीख को पेश करें।

सुनवाई की अगली तारीख

(हस्ताक्षर)

प्रधान न्यायाधीश/सदस्य,
किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 42

[नियम 69(घ) (4)]

रातभर का संरक्षण प्रवास

..... (बालक का नाम) को आज पकड़ा गया है। (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, पुलिस स्टेशन के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की समान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है।

उक्त बालक को बजे संस्था में लाया गया है और संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन बजे (समय बताएँ) या उससे पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएँ (यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को बाल न्याय मण्डल/बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख का 20

(हस्ताक्षर)
संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

प्ररूप 43

[नियम 69 (ज) (3)]
बालक का जीवनवृत्त
(बाल देखभाल संस्था के लिए)

यहा अद्यतन
फोटो चस्पा करें

केस/प्रोफाइल सं०.....

तारीख एवं समय.....

क. वैयक्तिक ब्योरा

- नाम.....
- पुरुष/महिला (उपयुक्त श्रेणी पर चिन्ह अंकित करें).....
- भर्ती के समय आयु.....
- वर्तमान आयु.....
- श्रेणी (जो लागू हो उस पर चिन्ह अंकित करें):
 - I. परिवार से अगल हुआ
 - II. परिव्यक्त/भगोडा
 - III. शोषण व हिंसा से पीड़ित (ब्योरा दें)
 - IV. भाग जाना
 - V. अन्य कोई
- धर्म
 - I. हिन्दू (अन्य जाति/पि.जा./अ.जा./अ.ज.जा.)
 - II. मुस्लिम/इसाई/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
- मूल जिला/राज्य
- निवास का विवरण
 - I. कंक्रीट भवन/कच्चा घर
 - II. तीन शयन कक्ष/दो शयन कक्ष/एक शयन कक्ष कोई अलग कमरा नहीं
 - III. स्वयं का/किराये पर
- किशोर को किसके द्वारा बाल कल्याण समिति/बाल न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया (जो लागू हो पर चिन्ह लगाएँ)
 - I. पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई/नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/महिला पुलिस
 - II. परिवीक्षा अधिकारी
 - III. समाज कल्याण संगठन
 - IV. सामाजिक कार्यकर्ता
 - V. अभिभावक/संरक्षण (कृपया संबंध बताएँ)
 - VI. अन्य लोक सेवक
 - VII. अन्य कोई उत्साही नागरिक
 - VIII. स्वयं किशोर/किशोरी
- परिवार छोड़ने का कारण
 - I. माता-पिता/अभिभावक/सौतेल माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार
 - II. रोजगार की तलाश में
 - III. समान आयु के किशोरों से प्रभावित
 - IV. माता पिता की अक्षमता
 - V. माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
 - VI. माता-पिता का अलग हो जाना
 - VII. माता-पिता की मृत्यु
 - VIII. गरीबी
 - IX. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
- बालक के साथ हुए अपशब्द का स्वरूप

- I. मौखिक दुर्व्यवहार—माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - II. शारीरिक प्रताड़न
 - III. यौन शोषण माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - IV. अन्य माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
- बालक के साथ हुए दुर्व्यवहार का स्वरूप
 - I. खाना न देना— माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - II. क्रूरता पूर्वक मार—पीट— माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - III. चोट ग्रस्त हो जाना— माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - IV. बंदी बनाना— माता—पिता/भाई—बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - V. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - बालक द्वारा सामना किया गया शोषण
 - I. बिना किसी भुगतान के अत्यधिक कार्य कराना
 - II. लंबे समय तक काम करने पर भी नाम—मात्र की मजदूरी
 - III. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 - भर्ती होने से पहले बालक की सेहत की स्थिति

i)	श्वसन विकार	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
ii)	श्रवण विकार	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
iii)	आँखों का रोग	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
iv)	दाँतों की बीमारी	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
v)	हृदय रोग	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
vi)	त्वचा रोग	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
vii)	यौन संक्रमण बीमारी	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
viii)	तंत्रिका विकृति	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
ix)	मानसिक अपंगता	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
x)	शारीरिक विकलांगता	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
xi)	मूत्र संक्रमण	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया
xii)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	—पाया गया/ज्ञात नहीं/नहीं पाया गया

15. भर्ती से पहले बालक किसके साथ रह रहा:

- I. माता—पिता—माता/पिता/दोनों
- II. भाई—बहन/सगे—संबंधी के साथ
- III. अभिभावक—संबंधी
- IV. मित्र—मंडली
- V. सड़क पर
- VI. रैन बसेरा
- VII. अनाथालय/हॉस्टल/आश्रम
- VIII. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

16 बालक से मुलाकात करने हेतु माता—पिता के दौरे

संस्था में आगमन से पहले—निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/कभी नहीं
संस्था में भर्ती हो जाने के बाद—निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/कभी नहीं

17. बालक का अपने माता—पिता के पास जाना।

संस्था में आगमन से पहले—निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/त्योहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं
संस्था में भर्ती हो जाने के बाद— निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/त्योहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

18 माता—पिता के साथ पत्राचार

संस्था में आगमन से पहले—निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/त्योहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद— निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/त्योहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

19. विकलांगता का ब्यौरा

20. परिवार का स्वरूप: परिवार/संयुक्त परिवार/खंडित/परिवार/एकल माता-पिता

21. पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंध

I. माता एवं पिता	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II पिता एवं बालक	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II माता एवं बालक	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II पिता एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II माता एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II बालक एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II बालक एवं सगे संबंधियों	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं

22. परिवार के सदस्यों द्वारा किए अपराध, यदि कोई हो, का ब्यौरा

क्र०स०	संबंध	अपराध का स्वरूप	मामले की विधिक स्थिति	गिरफ्तारी, यदि कोई हुई हो	गिरफ्तारी की अवधि	दिया गया दंड
1	पिता					
2	सौतेला पिता					
3	माता					
4	सौतेली माता					
6	भाई					
	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
6	बहन					
	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
7	बालक					
8	अन्य (चाचा/चाची/दादा-दादी)					

23 परिवार की अपनी परिसम्पतियाँ:

I. भू-सम्पतियाँ (कृपया क्षेत्रफल बताएँ)

II. घरेलू सामान-गाय/भैंस/पशु।

III. वाहन-दुपहिया/तीन पहिया/चौपहिया/लॉरी, बस, कार, ट्रैक्टर, जीप)

IV. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

24. परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति:

i)	मता-पिता	परम्परागत/विशेष विवाह
ii)	भाई	परम्परागत/विशेष विवाह
iii)	बहन	परम्परागत/विशेष विवाह

25 परिवार के सदस्यों के सामाजिक कार्य कलाप:

I. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेना

II. सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना

III. सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में शामिल न होना

IV. मालूम नहीं

26. भर्ती के पहले किशोर के प्रति अभिभावकों द्वारा देखभाल:

I. अति सुरक्षा

- II. स्नेहपूर्ण
- III. शिष्ट
- IV. गुस्सैल
- V. अशिष्ट
- VI. निराकृत

किशोरावस्था ब्यौरा (12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)

27. बालक का किस आयु में यौवनागम हुआ?
28. अपराधी प्रकृति का ब्यौरा, यदि कोई हो
- I. चोरी-चकारी
 - II. जेब काटना
 - III. ताड़ी शराबी बेचना
 - IV. नशा करना
 - V. गौण अपराध
 - VI. गंभीर अपराध
 - VII. जघन्य अपराध
 - VIII. उपरोक्त में कोई नहीं
 - IX. अन्य (कृपया उल्लेख करें)
29. अपराधी प्रवृत्ति के कारण
- I. माता-पिता की अपेक्षा
 - II. माता-पिता की जरूरत से अधिक सुरक्षा
 - III. माता-पिता का अपराधिक व्यवहार
 - IV. माता-पिता का नकारात्मक प्रभाव
 - V. समान आयु वर्ग का प्रभाव - ड्रग/शराब खरीदना
 - VI. अन्य (कृपया उल्लेख करें)
30. आदतें

	क		ख
i)	धुम्रपान	i)	टीवी/फिल्म देखना
ii)	मदिरापन	ii)	आंतरिक/मैदानी खेल खेलना
iii)	ड्रग सेवन	iii)	पुस्तकें पढ़ना
iv)	जुआ खेलना	iv)	धार्मिक कार्य
v)	भीख मांगना	v)	ड्राइंग/पेंटिंग/गति-गायन
vi)	अन्य कोई	vi)	अन्य कोई

रोजगार ब्यौरा

31. बालक सुधार गृह में प्रवेश से पहले किशोर का रोजगार ब्यौरा

क्रमांक	रोजगार का ब्यौरा	समय और अवधि	प्राप्त मजदूरी
i)	कूली		
ii)	कूड़ा बीनना		
iii)	मेकैनिक		
iv)	होटल में कार्य		
v)	चाय की दूकान में कार्य		
vi)	जूतों की पॉलिश		
vii)	घरेलू कार्य		
viii)	अन्य (उल्लेख करें)		

आय के उपयोग का ब्यौरा:

32. पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने हेतु भेजना
- I. परिधान सामाग्री के लिए
 - II. जुआ खेलने के लिए

- III. वैश्वयवृत्ति के लिए
 IV. शराब के लिए
 V. ड्रग के लिए
 VI. धुम्रपान के लिए
 VII. बचत
33. बचत का ब्यौरा
 I. नियोक्ता के पास
 II. दोस्तों के पास
 III. बैंक/डाकघर
 IV. अन्य (उल्लेख करें)
34. काम-काज के समय की अवधि
 I. छ: घंटे से कम
 II. छ: घंटे से आठ घंटे के बीच
 III. आठ घंटे से अधिक
- शैक्षिक ब्यौरा
35. बाल गृह में प्रवेश से पूर्व बालक की शिक्षा का ब्यौरा
 I. अनपढ़
 II. पाँचवी कक्षा तक अध्ययन
 III. पाँचवीं से अधिक किंतु दसवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
 IV. आठवीं से अधिक किंतु दसवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
 V. दसवीं तक या इससे ऊपर
36. विद्यालय छोड़ने के कारण
 I. आखिरी अध्ययन करने वाली कक्षा में अनुत्तीर्ण
 II. विद्यालय के कार्य कलापों में रुचि की कमी
 III. अध्यापकों का उदासीन व्यवहार
 IV. समान आयु समूह के किशोर से प्रभावित
 V. परिवार के लिए कमाना और सहयोग
 VI. माता-पिता की अचानक मृत्यु
 VII. विद्यालय का सख्त वातावरण
 VIII. विद्यालय से भाग कर गैर हाजिर रहना
 IX. आस पास समान आयु का उपयुक्त स्कूल न होना
 X. अन्य (कृपया उल्लेख करें)
 XI. 37. जिस विद्यालय में अंतिम बार अध्ययन किया की उस विद्यालय का ब्यौरा
 I. नगरनिगम/नगरपालिका/पंचायत
 II. सरकारी/अजा कल्याण विद्यालय/पिछड़ी जाति कल्याण
 III. निजी प्रबंधन
38. शिक्षा का माध्यम: हिंदी/अंग्रजी/उर्दू/तमिल/मलयालम/कन्नड़/तेलुगू/मराठी /गुजराती /बंगाली/अन्य भाषा (कृपया उल्लेख करें)
39. बाल गृह में भर्ती हो जाने बाद प्रवेश की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त शिक्षा वर्षों की संख्या पढाई की कक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
40. बाल गृह में भर्ती की तारीख से आज तक प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्षों की संख्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम का नाम प्राप्त प्रवीणता प्रमाणीकरण का ब्यौरा?
41. बाल-गृह में प्रवेश की तारीख से आज तक अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य कलाप
 i) स्काउट
 I. खेल कूद (कृपया उल्लेख करें)
 II. एथलेटिक्स (कृपया उल्लेख करें)
 III. ड्राईंग

IV. पेंटिंग

V. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

चिकित्सा पूर्ववृत्त

42. भर्ती के समय ऊँचाई और वजन :
 43. शारीरिक स्थिति:
 44. बालक का चिकित्सा पूर्ववृत्त:
 45. माता-पिता/संरक्षण का चिकित्सा इतिहास :
 46. बालक की सेहत की वर्तमान स्थिति:

क्र० सं०	वार्षिक टिप्पणी	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
	पुनर्जांच की तारीख				
	ऊँचाई				
	वजन				
	प्रदत्त पोषक आहार				
	तनाव				
	दाँत				
	कान/नाम/गला				
	आँख				

47. ऊँचाई और वजन का चार्ट

तारीख, माह और वर्ष	ऊँचाई	स्वीकार्य वजन	वास्तविक वजन
--------------------	-------	---------------	--------------

सामाजिक इतिहास

48. बाल गृह में भर्ती से पूर्व मित्र मण्डली का ब्यौरा :
 i. सहायोगी
 ii. स्कूल का मित्र
 iii. पड़ोसी
 iv. अन्य (कृपया विवरण दें)
 49. बालक के अधिकतर मित्र हैं
 i. शिक्षित
 ii. अशिक्षित
 iii. समान आयु समूह
 iv. अन्य आयु में
 v. आयु में बड़े
 vi. एक समान लिंग
 vii. विपरीत लिंग
 50. समूह की सदस्यता का (कृपया स्पष्ट विवरण)
 i. सिनेमा प्रेमी लोगों से जुड़ाव
 ii. धार्मिक समूह से संबद्धता
 iii. कला और खेल कूद से संबद्धता
 iv. गिरोह में संबद्धता
 v. स्वैच्छिक सामाजिक सेवा समूह से संबद्धता
 vi. अन्य (कृपया उल्लेख करें)
 51. समूह/संघ में बालक की स्थिति
 i. नेता
 ii. द्वितीय स्तर का नेता
 iii. मध्य स्तर का कार्यकर्ता
 iv. सामान्य सदस्य
 52. समूह की सदस्यता लेने का उद्देश्य :
 i. सामाजिक कार्यकलाप के लिए

- ii. विश्राम के लिए समय बिताना
 - iii. आनंद के लिए कार्यकलाप खोजना
 - iv. पथभ्रष्ट कार्यकलापों के लिए
 - v. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
53. समूह/संघ का व्यवहार
- i. सामाजिक मानदंडों का आदर और नियमों का पालन
 - ii. मानदंडों की अवहेलना में रुचि
 - iii. नियमों के उल्लंघन में रुचि
54. समूह के सदस्यों से मिलने का स्थान
- i. आमतौर पर नियत स्थान पर
 - ii. स्थान निरन्तर बदलता रहता है
 - iii. कोई विशेष स्थान नहीं
 - iv. मिलने का स्थान सुविधा के अनुरूप तय किया जाता है
55. उस समय समाज कल प्रतिक्रिया जब पहली बार बालक परिवार से अलग रहा/हुआ
- i. सहयोगात्मक
 - ii. नकारात्मक
 - iii. दुर्व्यवहार
 - iv. खराब बरताव
 - v. शोषण
56. बालक के प्रति प्रतिक्रिया
- i. नम्र
 - ii. सख्त
 - iii. आक्रामक और दुर्भावनापूर्ण
 - iv. शोषण मुक्त
 - v. खराब वर्ताव
57. बालक के प्रति आम जनता का रुख
- बालक का इतिहास
- i. शिक्षा
 - ii. सेहत
 - iii. पेशेवर प्रशिक्षण
 - iv. विविध कार्यकलाप
 - v. अन्य

बालक अभिमुखीकरण के बाद बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी के सुझाव और अभिमुखीकरण के प्रति प्रतिक्रिया

बाल कल्याण अधिकारी/परिवाक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्तन प्रबंधन समिति द्वारा केस इतिहास की तिमाही समीक्षा

प्रभारी/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी

प्ररूप 44

{नियम 82 (1)}

निर्मुक्त सह पुनःस्थापन आदेश

बालक/बालिका का नाम पुत्र/पुत्री श्री निवासी

..... प्रकरण सं./प्रोफाइल सं. जिसे किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के तहत बाल न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति

..... द्वारा दिनांक को की अवधि के लिए संप्रेषण गृह/सुरक्षित स्थल/विशेष गृह में रखे जाने के आदेश दिए थे और जो अब संस्था में

... स्थान पर है, को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान के कारण से उक्त संस्था और पर्यवेक्षण तथा प्राधिकार से विमुक्त किया जाए.

यह आदेश यहाँ नीचे वर्णित शर्तों के अधीन दिया जाता है और जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा।

तारीख :

हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति
स्थान:

शर्तें :

1. निर्मुक्त व्यक्ति को प्रस्थान करेगा और बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा संप्रेषण गृह में नजरबंदी/विशेष गृह/सुरक्षित स्थल में उसके प्रवास की अवधि की समाप्त होने तक के पर्यवेक्षण और प्राधिकार में तब तक रहेगा जब तक माफी को शीघ्रता में से निरस्त नहीं कर दिया जाता है।
2. वह की सहमति के बिना उस स्थान अन्य किसी स्थान, जो उक्त के द्वारा नामक हो सकता है, स्वयं को अलग नहीं करेगा।
3. वह समय पाबंदी और विद्यालय/किसी कार्य/व्यवसाय में नियमित उपस्थिति के बारे में या अन्य प्रकार के उक्त से प्राप्त हुए ऐसे अनुदेश का पालन करेगा।
4. वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहेगा और वह की संतुष्टि के अनुरूप संयमी और मेहनती जिंदगी बिताएगा।
5. उपरोक्त किसी शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा प्रदान की गई संस्थान में प्रवास की अवधि की माफी की उक्त शर्त निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्त किए जाने से उस पर किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 97 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मैं इसके द्वारा अभिस्वीकृति देता हूँ कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूँ और उन शर्तों को पढ़ा गया और मुझे स्पष्ट किया गया है तथा मैं उनको स्वीकार करता हूँ।

निर्मुक्त बालक के हस्ताक्षर/चिन्ह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें (बालक का नाम) के सामने पढ़ी गईं और स्पष्ट की गईं और कि वह उन शर्तों को स्वीकार करता/करती है जिन पर उसका/उसकी निर्मुक्त उन्मोचित हो सकती है।

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बाल तारीख को विनिर्मुक्त कर दिया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी व्यक्ति

के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप 45

{नियम 82 (4)}

मार्गरक्षा आदेश

प्रकरण संख्या

..... बाल/बालिका के मामले में

आयु लगभग दर्ज की गई

बालक/बालिका के माता-पिता के स्थान पर रहने की सूचना है।

इसलिए वह समुचित पुलिस/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन की देख-रेख में की अभिरक्षा में भेजे।

उपरोक्त वर्णित पते अथवा इस अन्य स्थल जो बच्चे द्वारा दर्शाया जाए, पर उक्त बालक/बालिका के माता पिता अथवा नजदीकी सगे संबंधियों की तलाश करने और सौंपने, अगर उन माता पिता अथवा सगे संबंधी की तलाश नहीं हो पाती है या उनकी तलाश तो हो जाती है किंतु वे बालक बालिका को लेने के लिए इच्छुक नहीं हो तो बालक बालिका को उक्त जिले के बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह के प्रभारी की अभिरक्षा में रखा जाए और उपरोक्त बालक बालिका को अगले आदेश के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

अनिर्णीत अभिरक्षण के समय उपरोक्त बालक/बालिका बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह, के वर्तमान निवास में रहेगा, राज्य/जिला बाल संरक्षा इकाई अथवा पुलिस विभाग अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन/चाइल्डलाइन उनके द्वारा इस आदेश के मिलने की तारीख से कम से कम 15 दिन में शीघ्रता से अवश्य व्यवस्था करेगा और उपरोक्त बालक/बालिका को उसके पूर्वोक्त निवास स्थल पर भेजा जाएगा.

आज दिनांक-..... को 20

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति
किशोर न्याय बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखभाल संस्था
2. जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन
..... को जन्मे नाबालिग का आदेश प्रोफाइल सं.

प्ररूप 46

[नियम 41(3) और 41(9)]
निरीक्षण समिति का निरीक्षण
(जो लागू हो उसे भरें)

दौरे की तारीख दौरे का समय
बालगृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम :

1.
2.
3.

क. समान्य सूचना :

- i. संगठन का नाम और पता :
.....
 - ii. पंजीकरण सं० (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत) :
i. जारी करने की तारीख:
ii. समाप्ति की तारीख :
 - iii. सी.सी. आई का पूरा पता :
.....
i.
 - iv. अधिकारी/प्रभारी व्यक्ति का नाम :
 - v. सम्पर्क सं० ई मेल
 - vi. गृह का स्वरूप (कृपया चिन्ह अंकित करें):
संप्रेषण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थल/बाल गृह/मुक्त आश्रय गृह (कृपया स्पष्ट करें):
 - vii. यदि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त/का सहयोग प्राप्त हो तो उस विभाग का नाम
viii. यदि सरकार द्वारा चलाया जाता है:
- ख. बाल गृह की स्थिति

- (i) गृह की स्वीकृत क्षमता
- (ii) क्या 10 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को एक ही गृह में रखा जाता है

हाँ नहीं
यदि हाँ तो आज की तारीख में ऐसे बच्चों की संख्या

- (iii) क्या 05 से 10 वर्ष की आयु समूह के बालक/बालिकाओं को नहाने और सोने की अलग-अलग सुविधाएँ रखी जाती है
हाँ नहीं
- (iv) क्या बच्चों को नीचे दिए गए समूह में अलग-अलग बनाए गए हैं?
i. 7-11 वर्ष:
ii. 12-18 वर्ष:
iii. क्या वहाँ 0-5 वर्ष की आयु समूह के बच्चे हैं? हाँ नहीं
यदि हो, संख्या सूचित करें:
iv. क्या वहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं?
हाँ नहीं

यदि हो, संख्या सूचित करें:

- v. क्या वर्तमान मास में नए दाखिले हुए हैं
- vi. उन बच्चों की संख्या जो वहाँ से चले/विमुक्त हुए
- vii. मास के दौरान बा.न्या.बो./बा.क.स. द्वारा संदर्भित बच्चों की संख्या
- viii. मास के दौरान बा.न्या.बो./बा.क.स. के समक्ष पेश किए बच्चों की संख्या
- ix. पिछले मास के अंतिम दिन को बच्चों की संख्या
- x. विशेष जरूरतों वाले बच्चों की संख्या, यदि कोई हो, ब्यौरा दें
- xi. उनके पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्था :.....
- xii. क्या प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग योजना तैयार की जाती है?
हाँ नहीं

ग. आधारभूत जरूरतें :

- भवन :
- किराये पर स्वयं का
- क्या प्रवेश द्वार पर सी सी टी वी संस्थापित है
हाँ नहीं
- सुरक्षा पर्याप्त अपर्याप्त
- बच्चों को रखने के लिए समुचित जगह :
हाँ नहीं

उपलब्ध जगह :

कमरों/डोरमेट्री की संख्या	ब्यौरा
रूग्ण/चिकित्सा ईकाई की व्यवस्था	
परामर्श कक्ष	
बच्चों के लिए मनोरंजन/कार्यकक्ष <ul style="list-style-type: none"> • क्या केबल नेटवर्क सहित टी वी सैट उपलब्ध है • क्या बच्चों को अक्सर टी वी देखने की अनुमति दी जाती है • क्या बच्चों को इंडोर गेम खेलते हैं • उनके लिए कौन-कौन से खेल उपलब्ध है • क्या बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं • क्या उनको खेलने के लिए उपकरण/सहायक उपकरण उपलब्ध है • क्या वो पिकनिक/भ्रमण के लिए जाते हैं • क्या उनको प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत करते हैं • क्या बच्चों के लिए मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है 	हाँ नहीं शाम के वक्त या कभी भी हाँ नहीं आयु वार उपयुक्त खेल उपलब्ध है या नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं

<p>रसोई/भोजन कक्ष</p> <ul style="list-style-type: none"> • क्या भोजन बनाने की जगह और भोजन कक्ष अलग अलग है • क्या बच्चों को अलग-अलग थाली, मग और गिलास मिलता है • क्या खाना बनाने के बर्तन पर्याप्त और साफ सुथरे हैं • क्या बच्चों के लिए फ्रिज उपलब्ध है • क्या बच्चों के लिए ओवन उपलब्ध है • क्या रसोई गैस में गैस स्टोव उपलब्ध है • क्या चिमनी उपलब्ध है • गैस सिलेंडर को रखने की व्यवस्था है • धुलाई, खाना बनाने के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति • पीने के पानी की जल उपलब्धता (आर ओ) • क्या खाना मशीन या रसोईये द्वारा बनाया जाता है। 	<p>हाँ नहीं हाँ नहीं</p>
<p>बच्चों के लिए शौचालय और स्नानघर की संख्या</p> <ul style="list-style-type: none"> • पलैश चलता है • वाशवेसिन में नल काम करते हैं • क्या फर्श फिसलनभरा है • पानी निकासी साफ है • पानी निकासी बंद रहती है • कपड़े/तौलिये लटकाने के लिए जगह है • जाले (मकड़ी आदि के) हटाए जाते हैं • दरवाजे पर लैच है • दरवाजे में झांकने के लिए छेद है • बच्चों को बार-बार नहाने की अनुमति है • पर्याप्त जल उपलब्ध है • पर्याप्त संख्या में बाल्टी और मग • व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध है • क्या वाशिंग पाउडर और साबुन दिया जाता है • क्या बच्चे अपने कपड़े स्वयं धोते हैं • क्या धोबी उपलब्ध है • क्या वाशिंग मशीन ठीक ठाक काम करती है 	<p>हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं दिन में एक बार या एक से अधिक हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं</p>
<p>बाह्य गतिविधियों के लिए खुली जगह</p>	
<p>कक्षा</p>	

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जगह	
---------------------------------	--

परिसर

- क्या निवास में बाल सुलभ इन्डोर उपलब्ध है? हाँ नहीं
- झाड़ू /पोछन कार्य क्या अक्सर किया जाता है दिन में दो बार अथवा कई बार
- क्या कक्षा की पढाई के दौरान सफाई कार्य में बच्चों को शामिल किया जाता है? हाँ नहीं
- क्या बच्चों के लिए कूलर/हीटर की सुविधा उपलब्ध है? हाँ नहीं
- क्या दरवाजे और खिड़कियाँ भली भांति ठीकठाक रखे जाते हैं? हाँ नहीं
- क्या कमरे/डोर्मेट्रीज अच्छे हवादार हैं? हाँ नहीं
- जब बिजली न हो तो क्या बत्ती और पंखों की वैकल्पिक व्यवस्था है? हाँ नहीं
- क्या खुली जगह साफ-सुथरी, आकर्षक और बाल सुलभ सुविधायुक्त है? हाँ नहीं

बच्चों को प्रदान किए गए कपड़े/बिस्तर/लाकर्स/प्रसाधन :

- क्या साईज और मौसम के अनुसार कपड़े दिए जाते हैं ? हाँ नहीं
- अंतः वस्त्र बदलने की आवश्यकता हाँ नहीं
- नए कपड़ों की सिलाई करवाई जाती है/सिले-सिलाए लाये जाते हैं ? सिले हुए/सिलवाये हुए
- क्या अलग अलग गद्दे दिए जाते हैं ? हाँ नहीं
- क्या अलग अलग तकिये दिये जाते हैं ? हाँ नहीं
- क्या गद्दे और तकिये साफ सुथरे हैं ? हाँ नहीं
- क्या बच्चों के पास अलग अलमारी है ? हाँ नहीं
- क्या चादर और खेस उपलब्ध है ? हाँ नहीं
- क्या सर्दियों में कंबल उपलब्ध है ? हाँ नहीं
- आगमन पर प्रदान किए सैट्स की संख्या एक/दो/तीन/चार
- नए कपड़े प्रदान करने की आवश्यकता मासिक / तिमाही
- क्या ये सैट्स एक ही रंग या अलग अलग रंग के होते हैं ? एक/अलग अलग रंग
- क्या बच्चों को अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं रखने के लिए लॉकर्स प्रदान किए जाते हैं ? हाँ नहीं
- बच्चों को प्रदान की गई अन्य वस्तुएँ :
-
-

घ. बच्चों को प्रदान की गई सेवाएं :

- चिकित्सा सुविधाएं/स्वास्थ्य कार्ड रखना :
-
-
-
- पोषक आहार/विशेष भोजन :
-
-
-
- साफ पीने के पानी की व्यवस्था :
-
- बच्चों की दिनचर्या :

समय	कार्यकलाप/समय सारणी
सुबह	
दिन में	
दोपहर	
शाम	
देर शाम/रात	

- शिक्षा (औपचारिक शिक्षा/एन एफ ई/जीवन कौशल प्रशिक्षण

.....

.....

.....

.....

.....

- कम्प्यूटर/इंटरनेट/फोन
- क्या इंटरनेट के साथ कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है ? हाँ नहीं
- क्या यह सुविधा क्रियाशील है ? हाँ नहीं
- क्या बच्चों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने की सुविधा अनुमति है ? हाँ नहीं
- क्या टेलीफोन केवल कार्यालयीन उपयोग है ? हाँ नहीं
- क्या बच्चों को टेलीफोन का उपयोग करने की अनुमति है ? हाँ नहीं
- क्या फोन के नजदीक बाल टेलीफोन सं० 1098 प्रदर्शित है ? हाँ नहीं
- परामर्श/मार्गदर्शन सेवाएँ/विशेष शिक्षक/फिजियोथैरेपी आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

.....

.....

.....

- व्यावसायिक प्रशिक्षण :

.....

.....

.....

- मनोरंजन सुविधाएँ :

.....

.....

.....

- अन्य अभिकरणों/विभागों से विकसित संबंध :

.....

.....

.....

- गुमशुदा बाल ट्रैक कार्यक्रम का कार्यावयन :
- गुमशुदा बाल ट्रैक वेबसाइट में बच्चों की प्रविष्टियाँ :
- प्रदान किया गया उपयोगिता पासवर्ड :
- प्रारंभ किए अन्य कार्यक्रम और कार्यकलाप :

ड. कर्मचारी ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवारंभ की तारीख	दौर के समय उपस्थिति	अभ्युक्ति
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					
11					
12					
13					
14					

च. बाल समिति / प्रबंधन समिति

हाँ नहीं

- बाल समिति का गठन
- आयुवार बाल समिति का गठन :
- बाल समिति की बैठकों की आवधिकता :

हाँ नहीं

- प्रबंधन समिति का गठन : हाँ या नहीं
- प्रबंधन समिति के गठन की तारीख और आयोजित बैठकों की आवधिकता

छ..... रिकॉर्ड अनुरक्षण :

कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर	
बाल उपस्थिति रजिस्टर	
केंद्रीय प्रवेश रजिस्टर	
व्यक्तिगत देखभाल योजना सहित व्यक्तिगत केस फाइल	
सी.डब्लू.सी./जे.जे.बी के साथ पत्राचार	

बालक सुझाव बही बालक सुझाव पेटी	
चिकित्सा फाइल / चिकित्सा कार्ड	
व्यक्तिगत वस्तु रजिस्टर	
प्रबंधन समिति-कार्यवृत्त रजिस्टर	
बाल समिति-कार्यवृत्त रजिस्टर	
पोषक आहार / भोजन फाइल	
अन्य कोई रखा गया रिकार्ड	

टिप्पणी / अभ्युक्ति :

.....

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर
 निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर
 निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर
 निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

.....

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 अतुल प्रसाद,
 प्रधान सचिव।

14 जून 2017

सं० 10 / विविध-08 / 2016-1191 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 अतुल प्रसाद,
 प्रधान सचिव।

The 14th June 2017

No. 10 / विविध-08 / 2016-1191—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

**CHAPTER – I
 PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.